उन्नति विचार

वर्ष : 8 अंक : 4 अक्तूबर-दिसंबर, 2003

अनुक्रम

संपादकीय 1

विकास विचार 2
भारत में घटता स्त्री-पुरुष अनुपात

आपके लिए
राष्ट्रीय स्वैच्छिक क्षेत्र नीति - २००३ 9

विश्व सामाजिक मंच 16

अपनी बात 19
अवरोध-मुक्त वातावरण: विकलांगों के सामाजिक समावेश की समस्या

गतिविधियां 24

संदर्भ सामग्री 29

अपने बारे में 34

संपादकीय टीम :
दीपा सोनपाल
बिनोय आचार्य

वार्षिक चंदा : 25/- रु. मात्र बैंक ड्राफ्ट अथवा मनीऑर्डर 'उन्नति' विकास शिक्षण संगठन, अहमदाबाद के नाम भेजें।

केवल सीमित वितरण के लिए

संपादकीय

दूसरा विश्व संभव है

'विश्व सामाजिक मंच' (वर्ल्ड सोशियल फोरम) की स्थापना 'वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम' के समक्ष वैकल्पिक विश्व संभव है, ऐसा दर्शाने की भावना के साथ सन् २००१ में हुई थी। नव-उदारवाद, नव-साम्राज्यवाद और वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया पिछले दो-एक दशकों के दौरान दुनिया भर में शुरू हुई है और पूंजी का जो वर्चस्व खड़ा हुआ है, उसके विरोध में, 'विश्व सामाजिक मंच' एक नयी दुनिया के निर्माण हेतु चिंतन करने वाले और काम करने वाले लोगों और संगठनों को अपने अनुभवों और विचारों के आदान-प्रदान हेतु एक मंच उपलब्ध कराता है। हाल ही में मुंबई में 'विश्व सामाजिक मंच' का चौथा सम्मेलन सम्पन्न हुआ, जिसमें इसी आवाज को बुलंद किया गया। उसमें गरीबों, वंचितों, एक किनारे कर दिए गए और आवाज-विहीन लोगों की आवाज को मुख्य प्रवाह में लाने हेतु प्रयास करने वाले गैर-सरकारी संगठनों को एकजुट होने का मौका मिला है। ऐसा मौका रंगमंच, भित्तिचित्रों, प्रदर्शनों, निदर्शनों, जुलूसों और व्याख्यानों के माध्यम से उसमें मिलता है। उससे स्पष्ट होता है कि भाषा, संस्कृति, धर्म, जात-पांत, चमड़ी के रंग तथा भौगोलिक भेदभाव को छोड़कर दुनिया भर के गरीब एक होने की कोशिश करते हैं। 'विश्व सामाजिक मंच' इस तरह से संगठनात्मक, अंतरराष्ट्रीय और भौगोलिक अवरोधों को दूर करता है और दुनिया भर की समस्याओं के प्रति लोगों की अभिमुखता उत्पन्न करने का प्रयत्न करता है।

'विश्व सामाजिक मंच' का चौथा सम्मेलन भारत में हुआ, यह भी एक महत्त्वपूर्ण बात है क्योंकि विश्व के सबसे ज्यादा गरीब भारत में रहते हैं। इस तरह ठेठ ग्राम स्तर के कार्यकर्ताओं को लगभग एक लाख लोगों की उपस्थिति वाले 'मंच' में सहभागी बनाने का अवसर मिला। देश व राज्य स्तर पर ऐसे सामाजिक मंच स्थापित करने की कोशिशें चल रही हैं और गत वर्ष हैदराबाद में 'एशियन सोशियल फोरम' का आयोजन हुआ, वह भी ऐसे प्रादेशिक स्तर के प्रयासों का ही एक भाग था। इसी तरह के प्रयास नीचे के स्तर तक पहुंचें, यह जरूरी है। सामाजिक न्याय मंच संबंधी स्थानीय, राष्ट्रीय, प्रादेशिक और अंतरराष्ट्रीय स्तर के आंदोलनों को 'विश्व सामाजिक मंच' एकता की भावना और समर्थन का सहयोग देकर हिम्मत प्रदान करता है। इससे कार्यकर्ताओं को ऐसा लगता है कि वे अकेले नहीं हैं और समग्र विश्व में चलने वाले इसी तरह के आंदोलनों से उन्हें ऐसा भी लगता है कि सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाला सभ्य समाज एक है और संगठित भी है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं और धनवान देशों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम बहुत कठिन है, पर यह लड़ाई लड़ना संभव ही नहीं, बल्कि जीत पाना भी संभव है, ऐसे स्वर 'विश्व सामाजिक मंच' से सुनाई पड़ रहे हैं। उल्लेखनीय बात यह है कि मुंबई में सम्पन्न 'विश्व सामाजिक मंच' के सम्मेलन में अर्थशास्त्र में नोबल पुरस्कार विजेता जोसेफ स्टिग्लिट्ज और ईरान की सक्रिय महिला कार्यकर्त्री शिरिन ईबादी भी उपस्थित रहे थे। यह इस बात का प्रमाण है कि 'विश्व सामाजिक मंच' वैश्विक स्तर पर अधिक से अधिक मान्यता प्राप्त करता जा रहा है।

'विश्व व्यापार संगठन' (डब्ल्यू.टी.ओ. - वर्ल्ड ट्रेड ओर्गेनाइजेशन) की स्थापना सन् १९९५ में होने के बाद स्पर्धा और व्यापार के नाम पर नव-उदारवाद और नव-साम्राज्यवादवाद के परिबल अधिक मजबूत हुए हैं और गरीबी, बेकारी, असमानता, संघर्षों, हिंसा व युद्धों की समस्याएं तीव्र हुई हैं। जबकि 'विश्व सामाजिक मंच' एक आशावादी स्वर सुनाता है और वह यह है - 'दूसरा विश्व संभव है'। इस तरह सामाजिक आंदोलनों को मजबूत बनाने की प्रेरणा 'विश्व सामाजिक मंच' के द्वारा प्राप्त होती है। आंदोलनों के बीच संवाद और मैत्री उत्पन्न हो और न्याय के लिए संघर्ष का मिजाज बना रहे, यही कामना है।

भारत में घटता स्त्री-पुरुष अनुपात

सन् २००१ की जनगणना में एक चौंकाने वाला यह तथ्य प्रकाश में आया था कि भारत की आबादी में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों का अनुपात क्रमशः घटता जा रहा है। प्रस्तुत लेख में मुम्बई युनिवर्सिटी के अर्थशास्त्र विभाग के सेंटर फोर वीमेन्स स्टडीज की **डॉ. विभूति पटेल** ने इस समस्या के विविध पक्षों पर विस्तार से लिखा है। १७ दिसम्बर २००३ को अहमदाबाद में आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यशाला में डॉ. पटेल ने अपना यह अध्ययन आलेख प्रस्तुत किया था जिसका सारांश यहां प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तावना

'फोरम अगेंस्ट सैक्स डिटर्मिनेशन एंड सैक्स-प्रिसिलेक्शन' द्वारा डाले गए दबाव के परिणामस्वरूप सन् १९९४ में 'प्रिनेटल डायग्नोस्टिक टेक्नीक्स' एक्ट पारित किया गया था। पर उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ। महिला अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत संगठनों के लगभग एकाध दशक लंबे अभियान और 'सिहेट' तथा 'मासूम' प्रस्तुत जनहित याचिकाओं के बाद इस कानून में सन् २००२ में संशोधन किया गया। राष्ट्रपति ने १७ जनवरी २००३ को उसे स्वीकृति प्रदान की।

इस कानून में स्त्री की गर्भावस्था से पहले या बाद में लिंग-चयन करने पर प्रतिबंध लगाया गया है और प्रजनन कमियों अथवा चयापचय दोषों या यौन संबंधी कमियों को पकड़ने के उद्देश्य से कराये जाने वाली निदान पद्धतियों पर प्रतिबंध लगाया गया है तथा नारी की भ्रूण हत्या की तरफ ले जाने वाले लिंग-निर्धारण के लिए उसका दुरुपयोग रोकने हेतु और उसके साथ संबंधित बातों के लिए उसमें प्रतिबंध की व्यवस्था की गई है। इस कानून के अनुसार सन् २००३ में जो नियम बनाये गये वे उन प्रणालियों को रोकने वाले क्रियान्वयन तंत्र को सक्रिय बनाने के लिए हैं जो समाज में से लड़कियों को अदृश्य होने (मिसिंग गर्ल्स) की तरफ ले जाती हैं। हमारे समक्ष एक बड़े कार्य की चुनौती है: डॉक्टरों और मरीजों का मन बदलने का है, ऐसा सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण निर्मित करना है कि जो बालिका के अस्तित्व के लिए अनुकूल हो, तथा यौनपरक पूर्वाग्रहों वाले चिकित्सकों की गतिविधियों पर नजर रखे तभी हम क्रमशः घटने वाली लैंगिक अनुपात की प्रक्रिया को रोकने में सफल हो सकेंगे। भारतीय शहरों में प्रजननपरक नयी तकनीक का व्यापक उपयोग होने से भारत की जनसंख्या के इतिहास में लगातार घटते जाते स्त्री-पुरुष अनुपात की प्रवृत्ति पैदा हो गई है। वांछित के चयन और अवांछित से इनकार के सिद्धांत पर यह नयी प्रजनन-परक तकनीक निर्मित है। भारत में पुत्र वांछित है और पुत्री अवांछित। अतः परिणाम स्पष्ट है। सन् २००१ की जनगणना दर १००० पुरुषों पर ९३३ स्त्रियों का अनुपात दर्शाती है। नयी सहस्त्राब्दि के आरंभ में भारत में ३.५ करोड़ स्त्रियों की कमी विद्यमान थी। आबादी के संदर्भ में यह ब्यौरा तालिका संख्या १ में दिया गया है।

बालकों में यह लिंग अनुपात (सैक्स रेशो) घटता जाता है, जो भारत में पुत्रियों को कम सामाजिक महत्त्व दिये जाने का परिणाम है। भारतीय जनगणनाओं के अनुसार भारत में बालकों में लिंग अनुपात १९८१, १९९१ और २००१ में क्रमशः ९७१, ९४५ और ९२७ था। सन् २००१ में भारत में १५.८० करोड़ नवजात शिशु और बालक थे। उनमें से ८.२ करोड़ लड़के थे और ७.६ करोड़ लड़कियां थीं। इस प्रकार ६० लाख लड़कियों की कमी थी। देश भर में केरल सहित सभी जगहों पर लिंग-निर्धारण और लिंग–चयन के लिए जो परीक्षण कराये जा रहे हैं, उनके परिणामस्वरूप ही यह परिस्थिति निर्मित हुई है।

स्त्री भ्रूण हत्या का अधिक अनुपात बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश (बीमारू राज्य) और ग्रामीण तमिलनाडु तथा गुजरात में विशेष रूप से मौजूद है। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद के काल में करोड़ों लड़कियां लापता हो गई हैं। यूएनएफपी यों दर्शाता है कि विगत एक दशक में बालकों में लिंग अनुपात में १६

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ७० जिलों में लगभग आधे प्रतिशत की कमी हो गई है। लिंग-निर्धारण और लिंग-चयन के परीक्षण द्वारा स्त्री-भ्रूण हत्या की नयी वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग होने से रोकने के लिए सन् १९९४ में कानून पारित किया गया है। परंतु महानगरों और नगरों में डाक्टरों और पुत्रैषणा के इच्छुक माता-पिता ने इस कानून का भंग किया है। लिंग-निर्धारण तथा लिंग-चयन की वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग खास प्रजनन परिस्थिति में ही करना होता है। परंतु भारत में और भारत के बाहर स्थायी रूप से रहने वाले भारतीयों में इसका उपयोग स्त्री-भ्रूण हत्या के लिए किया जाता है। सभी वर्गों, धर्मों और जातियों के लोग इस सुविधा का उपयोग करते हैं। मीडिया, वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, सरकारी अधिकारियों, महिला समूहों और विद्वानों को इस पद्धति के उपयोग के पक्ष या विरोध में अभियान चलाना है। पुरुषों के आधिपत्य, जनसंख्या नियंत्रण और पैसा कमाने के मोह आदि ऐसे परीक्षणों को मदद देने वालों हेतु महत्त्वपूर्ण बात है जबकि जो लोग इसका विरोध करते हैं उनके लिए स्त्री का अस्तित्व चिंता का विषय है। 'फोरम अगेंस्ट सैक्स डिटर्मिनेशन एंड सैक्स प्रिसिलेक्शन' द्वारा सन् १९८० के दशक में इस पद्धति के दुरुपयोग के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए सर्वग्राही प्रयास किये गए थे।

स्त्री-भ्रूण हत्या को विज्ञान की मदद

चिकित्सा विज्ञान में प्रगति होने से लिंग-निर्धारण और लिंग-चयन की पद्धतियां विकसित हुई। उनमें सोनोग्राफी, फिटोस्कोपी, निडलिंग, कोरियन विलि बायोप्सी (सीवीबी) और एम्नियो सेंटेसिस तथा अल्ट्रासाउण्ड पद्धतियों का समावेश है। हालांकि भारत में एम्नियोंसेंटेसिस और अल्ट्रा साउण्ड पद्धतियां अधिक उपयोगी बनी हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और राजस्थान में तो छोटे-छोटे शहरों में भी इन पद्धतियों का दवाखानों में उपयोग किया जाता है। कई डॉक्टर इसके लिए दलील भी देते हैं कि भारत जैसे विकासमान देशों में परिवार में दो संतानों के लिए जब माँ-बाप को प्रोत्साहन दिया जाता है तो ऐसे में उन्हें उन दोनों की गुणवत्ता तय करने का अधिकार है। उनका कहना है कि इस दिशा में उन्हें एम्नियो सेंटेसिस पूरी मदद देता है। हालांकि, यहां जो 'गुणवत्ता' शब्द वे प्रयुक्त करते हैं, उसमें से उभरने वाले अगणित प्रश्नों के बारे में हमें विचारना होगा।

तालिका संख्या -१

भारतीय जनसंख्या का चित्रः २००१

१. भारत की कुल आबादी	१०२.७ करोड़
२. पुरुष	५३.१ करोड़.
३. स्त्रियां	४९.६ करोड़.
४. स्त्रियों की कमी	३.५ करोड़.
५. प्रति १०० पुरुषों पर स्त्रियों का अनुपात	९३३

स्रोतः भारत की जनगणना-२००१

अभी अल्ट्रा साउण्ड मशीनों का लिंग-निर्धारण व लिंग-चयन के लिए व्यापक मात्रा में उपयोग होने लगा है। इसके लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां डॉक्टरों को प्रोत्साहन देती हैं और उससे उन्हें अत्यधिक आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। परंतु विगत ढाई दशकों से एम्नियोसेंटेसिस की वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग भी बढ़ गया है।

इसका उपयोग यह जानने के लिए किया जाना था कि बालक में कोई खामी तो नहीं, और विशेष रूप से ४० से बड़ी उम्र वाली गर्भिणी स्त्री पर किया जाता है, पर इसका उपयोग बालक के लिंग निर्धारण तथा लिंग-चयन के लिए होने लग गया है। लेकिन यह पद्धति अन्य कई पद्धतियों की बजाय स्त्रियों के स्वास्थ्य के लिए अधिक खतरनाक है। नवजात शिशु पर भी इसका विपरीत प्रभाव हो सकता है। आरंभ में सरकारी अस्पतालों में इस पद्धति का उपयोग प्रायोगिक स्तर पर होता था, पर बाद में तो यह अत्यंत लोकप्रिय हो गई। अब इसका उपयोग लिंग चयन के लिए ही होता है और बाद में स्त्री-भ्रूण के गर्भपात के लिए इसको उपयोग में लाया जाता है। निजी दवाखानों और सरकारी अस्पतालों में सर्वत्र इसे ही काम में लाया जाता है। पैसे के लालची डॉक्टर इस आधुनिक तकनीक के दुरुपयोग को प्रोत्साहन देते हैं और उन्होंने भारतीय स्त्रियों को लड़के पैदा करने की मशीन बना दिया है।

'वीमेंस सेंटर' द्वारा मुंबई के एक दल ने छह अस्पतालों और दवाखानों के सर्वेक्षण के आधार पर १९८२ में एक निष्कर्ष निकाला था कि रोजाना १० महिलाएं यह परीक्षण करवाती हैं। महाराष्ट्र

तालिका संख्या-२

भारत में विविध राज्यों में लिंग अनुपात

राज्य	प्रति १००० पुरुषों पर स्त्रियों का अनुपात	० से ५ वर्ष की आयु में लिंग अनुपात
१. अंदमान और निकोबार	८४६	९६५
२. आंध्र प्रदेश	९७८	९६४
३. अरुणाचल प्रदेश	९०१	९६१
४. आसाम	९३२	९६४
५. बिहार	९२१	९३८
६. चंडीगढ़	७७३	८४५
७. छत्तीसगढ	९९०	९७५
८. दादर और नगर हवेली	८११	९७३
९. दिल्ली	८२१	८६५
१०. दमण और दीव	७०९	९२५
११. गोवा	९६०	९३३
१२. गुजरात	९२१	८७८
१३. हरियाणा	८६१	८२०
१४. हिमाचल प्रदेश	९७०	८९७
१५. जम्मू और काश्मीर	९००	९२७
१६. झारखंड	९४१	९६६
१७. कर्नाटक	९६४	९४९
१८. केरल	१०५८	९६३
१९. लक्षद्वीप	९४७	९७४
२०. मध्य प्रदेश	९२०	९२९
२१. महाराष्ट्र	९२२	९१७
२२. मणिपुर	९७८	९६१
२३. मेघालय	९७५	९७५
२४. मिज़ोरम	९३८	९७१
२५. नागालैंड	९०९	९७५
२६. उड़ीसा	९७२	९५०
२७. पांडिचेरी	१००१	९५८
२८. पंजाब	८५७	७९३
२९. राजस्थान	९२२	९०९
३०. सिक्किम	८७५	९८६
३१. तमिलनाडु	९८६	९३९
३२. त्रिपुरा	९५०	९७५
३३. उत्तर प्रदेश	८९८	९१६
३४. उत्तरांचल	९६४	९०६
३५. पश्चिम बंगाल	९३४	९६३
भारत	**९३३**	**९२७**

स्रोतः भारत की जनगणना-२००१

सरकार ने १९८८ में इन परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाया, तब तक मुंबई के विख्यात हरकिशनदास अस्पताल में कैसे दंभ का आचरण होता था, यह भी उस सर्वेक्षण से प्रकट हुआ था। इस अस्पताल का संचालन जैनों के हाथ में है अतः वे गर्भपात को प्रश्रय नहीं देते। अस्पताल गर्भपात के लिए स्त्रियों को अन्य अस्पताल में भेजता था और वहां के पड़े हुए स्त्री-गर्भ को गहन 'शोध' के लिए अस्पताल में वापिस मंगवा लिया जाता था।

सन् १९८० के दशक की स्थिति

सन् १९८० के दशक के दौरान लिंग-निर्धारण का परीक्षण अन्य देशों में बहुत खर्चीला था और सरकार के उन पर अंकुश बहुत थे। पर भारत में यह काम ७० रु. से ५०० रु. तक में हो सकता था। अतः मात्र मध्यम वर्ग को ही नहीं, वरन् प्रत्येक मज़दूर वर्ग को भी पोसाता था। मुंबई की झोंपडपट्टी क्षेत्र के सर्वेक्षण यह दर्शाते हैं कि बहुत सी स्त्रियां यह परीक्षण कराती थीं और यह पता लग जाने पर कि गर्भ में लड़की है, वे १८वें-१९वें सप्ताह में गर्भपात करा लेती थीं। उनका तर्क था कि स्त्री बालक को ही जन्म दे, लड़की बड़ी होने पर उसके विवाह पर हजारों रुपये खर्च करने के बजाय गर्भपात पर २०० रु. या ८०० रु. का खर्चा करना सस्ता पड़ता था।

लार्सन एंड टूब्रो जैसी बहुराष्ट्रीय इंजीनियरी कंपनी के युवा कर्मचारियों को भी १९८५ में इस परीक्षण ने आकर्षित किया था। वे कंपनी में चिकित्सा व्यय के जो बिल पेश करते थे, उसमें वे इस परीक्षण का उपयोग करते प्रतीत हुए थे। उत्तर प्रदेश के बिजनोर जिले के दो गांवों का एक सर्वेक्षण कराया गया था। उसमें ३०१ महिलाओं से साक्षात्कार किया गया था। उससे भी ऐसा जानने को मिला कि एम्नियोसेंटेसिस की सेवा का उपयोग स्त्रियों को यह जानकारी देने के लिए होता है कि गर्भस्थ शिशु लड़का है या लड़की। उत्तर प्रदेश में पिछले १० वर्ष में यह पद्धति लागू हुई थी। सन् १९८१ की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में और बिजनोर जिले में १००० लड़कों पर लड़कियों का अनुपात ८४६ और ८६३ था। सन् २००० तक जाट और राजपूत समुदायों में ही लड़कियों की हत्या का रिवाज था, पर अब तो यह सभी समुदायों में प्रचलित हो चुका था।

सन् १९७४ में दिल्ली के 'आल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज' द्वारा ११००० सगर्भा स्त्रियों के लिए एक सर्वेक्षण हाथ में लिया था। हालांकि उसका मकसद गर्भ की स्थिति जानना था, परंतु उन स्त्रियों का उद्देश्य तो गर्भस्थ शिशु का लिंग जानना था। एक बार परीक्षण हो जाने पर जब स्त्रियों से कह दिया गया कि गर्भस्थ शिशु लड़की है, उन्होंने गर्भपात की मांग की थी। परिणामतः १९७८ में सभी सरकारी अस्पतालों में लिंग चयन हेतु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पंजाब में १९८२ में स्त्रियों व पुरुषों का एक सर्वेक्षण कराया गया था। जिसमें इन परीक्षणों के बारे में उनकी प्रतिक्रिया मांगी गई थी उनमें से सभी ने इन परीक्षणों को उपयोगी बताया था। वास्तव में, पंजाब में ही १९७९ में पहली बार इन परीक्षणों का व्यावसायिक स्तर पर उपयोग शुरू हुआ था। अमृतसर के एक दवाखाने ने तो इस विषय में विज्ञापन भी दिया था।

सन् १९८५ में महाराष्ट्र सरकार ने एक सर्वेक्षण हाथ में लिया था। उसमें यह जानने को मिला था कि ८४ प्रतिशत डॉक्टर एम्नियोसेंटेसिस का परीक्षण करते थे। वे लोग प्रतिमाह लगभग २७७ परीक्षण करते थे। उनमें कई डॉक्टरों के बारे में तो यह मालूम हुआ कि वे पिछले दसेक वर्ष से यह परीक्षण करते रहे थे। २९ प्रतिशत डॉक्टरों ने यह बताया कि जो १० प्रतिशत महिलायें परीक्षण करवाती थी, उनके एक से ज्यादा तो बेटे पहले से थे। कई डॉक्टर तो यह भी मानते थे कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए यह परीक्षण एक महत्त्वपूर्ण साधन है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने यह लक्ष्य तय किया था कि एक माता का स्थान एक पुत्री ले, ऐसी एक की प्रजनन दर रखी गई थी। इस उद्देश्य के बाद तो फिर लिंग-निर्धारण और लिंग-चयन के साधनों को सुलभ समझ लिया गया था। इन वृत्तियों के परिणामस्वरूप ही भारत में स्त्री-पुरुष अनुपात चिंताजनक सीमा तक घट गया है। समग्र स्त्री-पुरुष अनुपात और बालकों में स्त्रीलिंग-पुल्लिग अनुपात अलग-अलग राज्यों में कितना है, इसका विवरण तालिका संख्या-२ में दिया गया है। तालिका संख्या-३ और संख्या-४ में इस बारे में और अधिक विवरण दिये गए हैं।

विवाद के मुद्दे

इन स्थितियों में महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार हो, इसके बजाय वे मर जाएं, यही वांछनीय है, ऐसा भी कहा जाता रहा है। 'जन्म लेना

तालिका संख्या-३

भारत में ०-६ वर्ष के बालकों की आबादी

१. नवजात शिशुओं और बालकों की आबादी	१५.८ करोड़
२. पुरुष-शिशु और बालक	८.२ करोड़
३. स्त्री-शिशु और बालक	७.६ करोड़
४. स्त्री-शिशु और लड़कियों की कमी	६० लाख
५. बालकों की आबादी में लिंग अनुपात	९२७

स्रोतः भारत की जनगणना-२००१

और फिर मरने देने से तो क्या गर्भ के रूप में ही मर जाना अच्छा नहीं?' या फिर 'क्या लाखों अवांछित लड़कियों का जन्म महिलाओं की स्थिति को सुधारता है?' जैसे सवाल भी पूछे जाते रहे हैं। सन् १९०१ से १९७१ तक स्त्री-पुरुष अनुपात भारत में निरंत घटता रहा है। सन् १९७१ से १९८१ के बीच उसमें थोड़ा सुधार हुआ था, लेकिन उसके बाद में तो फिर से घटता गया है। धनी-मानी, गरीब, शिक्षित, अशिक्षित सभी लिंग-निर्धारण और लिंग-चयन के लिए परीक्षणों का उपयोग करते हैं, अतः परिस्थिति बहुत बिगड़ती जा रही है।

अनेक अर्थशास्त्री और डॉक्टर मांग व आपूर्ति के नियम का उदाहरण देते हुए इन परीक्षणों को उचित ठहराते हैं। उनका तर्क है कि यदि महिलाओं की आपूर्ति घट जाएगी तो उनकी मांग बढ़ेगी और उससे उनकी दशा सुधरेगी। ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं की कमी उनका मूल्य बढ़ायेगी। इसका अर्थ यह हुआ कि महिलाओं को एक प्रकार की वस्तु गिना जाता है। परंतु स्त्रियां किन सामाजिक-आर्थिक दशा में जीती हैं, इसे अर्थशास्त्री भूल जाते हैं। जो समाज स्त्रियों को सिर्फ यौन-संबंधों हेतु और बालक पैदा करने वाली वस्तु समझते हैं, वह समाज स्त्रियों के साथ मानवीयता का व्यवहार करेगा, यह कैसे कहा जा सकता है? उनकी आपूर्ति कम होगी तो उनके प्रति व्यवहार सुधर जाएगा, ऐसा कैसे माना जाए? वास्तव में बलात्कार, अपहरण और ज़ोर-जबरदस्ती के किस्से तो बढ़ ही रहे हैं। मध्यप्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में कई समुदायों में स्त्री-पुरुष अनुपात बहुत कम है। इस कारण बहुधा कई पुरुषों के बीच एक ही पत्नी होती है।

तालिका संख्या-४

ऐसे राज्यों का लिंग अनुपात जहां लिंग परीक्षण व्यापक है

	राज्य	१९९१	२००१
१.	पंजाब	८७५	७९३
२.	हरियाणा	८७९	८२०
३.	गुजरात	९२८	८७८
४.	महाराष्ट्र	९४६	९१७

स्रोतः भारत की जनगणना-२००१

एक और तर्क यह भी दिया जाता है कि जो माताएं एक या अधिक बेटियों वाली हों, उनको एम्नियोंसेंटेसिस परीक्षण करने देना चाहिए ताकि वे संतुलित परिवार रख सकें। उनके घर में लड़की भी हो और लड़का भी हो। वस्तुतः यह विचार एकपक्षीय है। अगर एक से अधिक पुत्र हों तो क्या गर्भस्थ लड़के के लिए गर्भपात कराने की सिफारिश होगी? क्या उस समय संतुलित परिवार का विचार आयेगा? नहीं, कदापि नहीं आएगा। वास्तव में, स्त्री या पुरुष किसी भी बालक के किसी भी गर्भपात के लिए किये जाने वाले परीक्षण का विरोध करना चाहिए। भला संतुलित परिवार के लिए स्त्री को कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी? कब तक उसे गर्भपात कराते रहना होगा?

फिर बार-बार यों भी कहा जाता है कि स्त्रियां खुद ही अपनी इच्छा से इस तरह के परीक्षण कराती हैं। यह तो उनकी पसंद का विषय है, ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन क्या पसंदगियों से सामाजिक शून्यावकाश उत्पन्न होता है? इन स्त्रियों के दिमाग में सामाजिक रूप से यह डाल दिया जाता है कि अगर वे बेटा पैदा नहीं करेंगी तो उनकी कोई सामाजिक कीमत नहीं होगी। उनको ताने मारे जाते हैं, उन्हें सताया जाता है, पति द्वारा उन्हें छोड़ दिया जाता है। इस तरह, वास्तव में तो उनकी पसंदगी समाज के भय पर निर्भर करती है। उन्हें कितने बालक पैदा करने चाहिए, इस पर तो स्त्रियों का अपना अंकुश करना चाहिए, ऐसा नारीवादी कहते हैं। उनकी मांग है कि बालक पैदा करना या न करना, उसकी और सुरक्षित गर्भपात की पसंदगी स्त्रियां स्वयं करें। परंतु तीसरे विश्व के संदर्भ में इस प्रश्न को जरा अलग तरह से देखना होगा। ऐसा भी तर्क दिया जाता है कि लगभग छह बालकों में से एक ही बालक के बचने की संभावना होती है, यह जनसंख्या वृद्धि की मूल समस्या है, मात्र बेटा पैदा करने की इच्छा ही नहीं।

स्त्री भ्रूण हत्याः राजनीति, अर्थशास्त्र और सामाजिक भूमिका

कई लोग ऐसा सवाल उठाते हैं कि जब परिवार नियोजन वांछित है तो फिर स्त्रीलिंग-पुल्लिग यौन का नियोजन क्यों वांछित नहीं? परंतु प्रश्न इतना सरल नहीं। दवाओं और स्वास्थ्य की देखभाल की व्यवस्था के व्यापारीकरण के संदर्भ में इस प्रश्न को समझने की जरूरत है। जनसंख्या नियंत्रण की नीति में यौनवादी पक्षपात हो और पितृसत्ताक व्यवस्था का स्वरूप विद्यमान हो, तो वहां इस प्रश्न पर अधिक गहराई से विचार करने की जरूरत पड़ती है। लिंग-चयन स्त्रियों के दमन का दूसरा एक रास्ता हो सकता है। नारीवादी यों तो कहते ही हैं कि स्त्रियों का अस्तित्व खतरे में है। लिंग-निर्धारण के परीक्षणों की बजाय यौन-चयन के परीक्षण ज्यादा लोकप्रिय बने हैं, इसका एक कारण यह भी है कि गर्भपात संबंधी जो नैतिकता के प्रश्न उठाये जाते हैं, वे उसमें नहीं उठाये जाते। गर्भपात विरोधी भी इस पद्धति का उपयोग करने में कोई एतराज महसूस नहीं करते। फिर लड़के को लेकर चयन की इच्छा मात्र भारत जैसे विकासमान देशों में ही नहीं है, वरन दुनिया में सर्वत्र ही है। पूंजीवाद के पहले वाले, पूजीवाद और पूंजीवाद के बाद वाले सभी सामाजिक ढांचों में इस चीज की जड़ें गहरी हैं और उन्हें लगातार ललकारे जाने की जरूरत है।

इस संदर्भ में भारत में महिलाओं की कमी को किस तरह दूर किया जा सकता है? सन् १९७० और १९८० के दशक में गैर-सरकारी संगठनों ने देश भर में जोरदार अभियान चलाया था और लिंग-निर्धारण व यौन-चयन के परीक्षणों का विरोध किया था। उसमें कितनी ही शोध संस्थाएं भी जुड़ गई थीं। उन्होंने इन परीक्षणों की तरफदारी करने वाले अत्यंत शिक्षित व प्रबुद्ध वैज्ञानिकों, टेकनोक्रेट्स चिकित्सकों और राज्य के समक्ष एतराज का स्वर बुलंद किया था। उसके परिणामस्वरूप अंततः महाराष्ट्र सरकार को और केन्द्र सरकार को कानून बनाने की जरूरत पड़ी थी। गैर-सरकारी संगठनों की दो महत्त्वपूर्ण मांगें थीं: (१) किसी निजी डॉक्टर को या दवाखाने को

लिंग-निर्धारण का परीक्षण करने की छूट न दी जाए। (२) लिंग-निर्धारण का परीक्षण कराने वाली किसी स्त्री को दंडित न किया जाए। यद्यपि इन दोनों मांगों का कानून में समावेश नहीं किया गया था।

महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि सिर्फ कानून की मदद से स्त्री भ्रूण हत्या को रोका नहीं जा सकेगा। लोक शिक्षण और महिला अधिकारों का आंदोलन ही इसमें प्रभावी भूमिका अदा कर सकता है। 'वृद्धावस्था में माता-पिता को बेटिया भी मदद दे सकती हैं, असमानता को दूर करने की जरूरत है- स्त्रियों को दूर करने की नहीं, दहेज को रोको- बेटियों को नहीं, अपनी बेटियों को स्वावलंबी बनाओ - शिक्षित करो - उनको काम करने दो ताकि आपकी बेटी आपके लिए बोझ न बने' इत्यादि विचारों का प्रचार अधिक महत्त्वपूर्ण सिद्ध होता है। इस तरह सामाजिक रुझानों को बदलना जरूरी है।

हाल ही में 'वोलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया' ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, पंजाब के फतेहगढ़ साहब और हिमाचल प्रदेश में एक सर्वेक्षण हाथ में लिया था। सन् २००१ की जनगणना के अनुसार इन क्षेत्रों में बालकों में स्त्री-पुरुष अनुपात बहुत नीचा है। उसमें गांवों के १४०१ घरों से सम्पर्क किया गया था। उनमें ९९९ विवाहिता स्त्रियों, ७२ डाक्टरों और ६४ पंचायत सदस्यों से सम्पर्क किया गया था। उस सर्वेक्षण में ऐसा निष्कर्ष सामने आया कि स्त्री-भ्रूण हत्या का एक सबसे महत्त्वपूर्ण कारण यह है कि बेटियों को परिवार में सामाजिक व आर्थिक बोझ माना जाता है और इसके कारण दहेज, उसकी पवित्रता भंग होने का डर और उसके विवाह की चिंता आदि हैं। इस संदर्भ में व्यापारी दिमागवाले डॉक्टरों और प्रयोगशाला के मालिकों ने पिछले कई वर्षों से स्त्री-भ्रूण हत्या के लिए नई टैक्नोलोजी का उपयोग किया है। शिक्षित परिवारों में भी छोटे परिवार की संकल्पना का अर्थ एक अथवा दो पुत्रों वाला परिवार माना जाता है। उनका काम अधिकाशतः बेटियों के बिना चलता है, पर बेटों के बिना नहीं चलता। जिनके पास सम्पति हैं, वे बेटियां नहीं चाहते क्योंकि उन्हें डर है कि विवाह के बाद जंवाई सम्पत्ति में से हिस्सा मांगेगा। जिनके पास सम्पत्ति नहीं है वे बेटियां नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें दहेज के त्रास का भय है। हालांकि, वे अपने बेटों के लिए दहेज स्वीकार कर लेते हैं। पुत्रों को आर्थिक समृद्धि का अवसर समझा जाता है, जबकि पुत्रियों को आर्थिक बरबादी की सीढ़ी समझा जाता है। उत्तर भारत में यह विचारधारा मजबूत है, पर लगता है कि पूरे देश में ही यह विचारधारा अत्यधिक मात्र में व्याप्त हो रही है। इस तरह, पुत्रैषणा की परंपरा और अल्ट्रा साउण्ड टेक्नोलोजी का अपवित्र मेल भारतीय समाज को पतन के गर्त में ले जा रहा है। भारत के अनेक राज्यों में एक, दो या ज्यादा से ज्यादा तीन बालकों वाले लघु परिवार चाहने वाले लोगों में स्त्री- भ्रूण हत्या को समुदायों में अब स्त्री-भ्रूण हत्या का अनुपात बढ़ा है।

राज्य और गैर सरकारी संगठनों के प्रयास

सन् १९९४ में पेरंटल डायग्नोस्टिक (रेग्युलेशन एंड प्रिवेंशन ऑव् मिसयूज) एक्ट संसद द्वारा तैयार किया गया। उसके बाद अनेक राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा इसी प्रकार के कानून बनाये गये। 'सेंटर फोर इंक्वायरी इंटु हेल्थ एंड एलाइड थीम्स', 'मासूम' और डॉ. साबु ज्योर्ज के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका पेश की गई थी। बाद में ४-५-२००१ को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में सभी राज्य सरकारों से इस कानून का तत्काल और प्रभावी क्रियान्वयन करने को कहा था। इस कानून का क्रियान्वयन १-१-१९९६ से हुआ। इस आदेश के अनुसार उपर्युक्त कानून के अधीन जेनेटिक काउंसिलिंग सेंटर, जेनेटिक लेबोरेटरी और जेनेटिक क्लिनिक का पंजीकरण अनिवार्य है। हाल ही में २००३ में प्रिनेटल डायग्नोस्टिक टेक्नीक्स (प्रोहिबिशन ऑव् सैक्स सिलेक्शन) एक्ट बनाया गया है। गर्भावस्था के आरंभ के चरण में लिंग-चयन न हो, इसके लिए इस कानून में व्यवस्था की गई है। यह कानून प्रभावी बने, इसके लिए भी इसमें व्यवस्था की गई है। फिर, सन् १९९४ के कानून में २००२ में सुधार किया गया है और उसे राष्ट्रपति ने १७-१-२००३ को स्वीकृति दी है। इस कानून के नियमों में गत वर्ष संशोधन किये गए हैं और उसमें से 'लापता लड़कियों को रोकने वाले क्रियान्वयन तंत्र को अधिक सक्रिय बनाने के प्रयास किये गए हैं। कानून व न्याय मंत्रालय के आदेशानुसार मुंबई महानगरपालिका ने गर्भस्थ लिंग को गैरकानूनी ढंग से निर्धारित करने के विरुद्ध अभियान चलाया है। गर्भस्थ लिंग किसी भी दशा में घोषित नहीं किया जाएगा, यह भी तय किया गया है कि इस आशय की एक तख्ती इन केंद्रों के बाहर लटकाई जाए।

दूसरा एक कदम यह भी उठाया गया है कि कोई भी संस्था ऐसा विज्ञापन नहीं छाप सकती या भित्तिचित्र नहीं दिखा सकती, टीवी पर प्रस्तुति ऐसी नहीं हो सकती कि जिससे लिंग-निर्धारण को मदद मिले या प्रोत्साहन मिले। पुणे की 'मासूम' संस्था ने फरवरी २००२ के दौरान बालाजी टेलिफिल्म्स की एक टी.वी. धारावाहिक में एक दंपति को बालक का लिंग जानने का प्रयास करते दिखाया गया था, जिसकी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग के सामने शिकायत की गई थी। आयोग ने बाद में मुंबई महानगरपालिका से सम्पर्क स्थापित किया था और पुलिस केंद्र में शिकायत दर्ज कराई थी। आयोग ने चर्चा की तो निर्माता कंपनी ने बाद में आयोग द्वारा तैयार एक विज्ञापन दिया था। उसमें दर्शाया गया था कि स्त्री-भ्रुण हत्या के लिए लिंग परिक्षण करवाना फौजदारी गुनाह होता है। अब एक और लड़ाई शुरू हो रही है। महिला समूह ऐसी मांग कर रहे हैं कि तीन महीनों तक प्रत्येक भाग से पहले उस विज्ञापन को दिखाया जाना चाहिए।

उपसंहार

इस प्रकार देखने पर लगता है कि अनचाही बालिका को जन्म देने से तो स्त्री-भ्रूण हत्या करना ज्यादा अच्छी बात है- इस तरह की विचारधारा वाले लोगों को हमें ललकारना चाहिए। उनका तर्क पुरुषों की संकीर्णता से प्रभावित नारी को ही मार डालता है, उसे ताकतवर नहीं बनाता। पर उसके बदले 'विवाह की रस्म में पांच लाख रुपये खर्च करने की बजाय ५००० रुपयों में गर्भपात कराना बेहतर' वे ऐसे विज्ञापन देते हैं। इस तर्क को काम में लेने पर यह भी कहना पड़ता है कि गरीबों को या तीसरी दुनिया के लोगों को गरीबी में या अभावों में जीना पड़े, इसके बजाय तो उन्हें मार डालना ही बेहतर होगा। यह तर्क ऐसी धारणा रखता है कि दहेज जैसे दूषण ईश्वर प्रदत्त हैं और इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते। अतः जो प्रभावित है उसे और प्रभावित किया जाए, यही कहना होगा। बेटी की पढ़ाई, स्वास्थ्य और गौरवपूर्ण जीवन के लिए या वह स्वावलंबी बने, इसके लिए ऋण लेना अधिक मननीय विषय है, और वास्तविक है। अतः सगर्भा माता और उसकी भावी पुत्री के प्रति घातक व्यवहार नहीं करना चाहिए। हाल ही में विवाह के समय नवोढ़ा द्वारा अपने भावी पति की दहेज मांगने पर धरपकड़ कराने के अनेक किस्से सामने आए हैं। ये प्रोत्साहनदायी हैं और लड़कियां ताकतवर बन रही हैं इसका सबूत हैं। दहेज की ऐसी यातना भरी घटनाओं को माध्यमों द्वारा व्यापक प्रसिद्धि मिलने पर युवतियां अधिक सशक्त हुई हैं। वे स्वयं 'दूसरों के लिए उदाहरण बनी हैं। अतः हमें तो 'लिंग निर्धारण नहीं चाहिए', 'अन्याय दूर करो, स्त्रियों को नहीं' - ऐसे नारे ही गुंजाने चाहिए।

'एक माता का स्थान ले एक पुत्री' ऐसे जो सूत्र चलाये जाते हैं, उनके विषय में समग्र देश में तात्विक और चिकित्सकीय स्तर पर चर्चा होनी चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण की टैक्नोलोजी स्त्रियों की सुरक्षा के बदले बालकों के जन्म टालने की पद्धति वाली कार्यक्षमता पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करती है। उसके प्रभावों का शिकार भी स्त्रियों को बनना पड़ता है। नयी प्रजनन तकनीकी डॉक्टरों के अंकुश में है, स्त्रियों के अंकुश में नहीं। अतः महिला समूह बार-बार यह बताते हैं कि यह टैक्नोलोजी मूलतः स्त्री विरोधी है। सर्वोच्च अदालत में 'सिहेट' और 'मासूम' के द्वारा जो जनहित याचिका पेश की गई थी, उसमें ऐसी मांग की गई थी कि लिंग-चयन की पद्धतियों का समावेश भी १९९४ के कानून में हो और कानून की प्रभावी क्रियान्वयन हो। इस मांग को स्वीकार भी किया गया और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नियम भी बनाये गए। राज्य सरकारें निजी व सरकारी डॉक्टरों के लिए इस विषय में जागृति हेतु परिसंवाद आयोजित कर रही है। महिलाओं को न्याय, चिकित्सकीय नैतिकता और मानवाधिकारों के प्रति भी विज्ञान की जिम्मेदारी है, ऐसा भी उसमें कहा जाता है। गर्भपात के विरोध का भाव और महिलाओं को न्याय मिलने का भाव अलग-अलग है, इसे भी समझा जाना चाहिए। स्त्रियों को अपने शरीर पर अधिकार होना चाहिए। पर लिंग-निर्धारण और लिंग-चयन के आधार पर होने वाले गर्भपात की नैतिकता इस अधिकार के साथ संघर्ष पैदा करती है। गर्भपात अपने में अनैतिक नहीं, पर लिंग-चयन के लिए किया जाने वाला गर्भपात अनैतिक है। इस प्रकार हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती डॉक्टरों और मरीजों के मानस परिवर्तन की है, ऐसा सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण खड़ा करना है कि जिसमें लड़कियों का अस्तित्व बना रहे और स्त्रियों के प्रति पूर्वाग्रहों से पीड़ित व्यापारी दिमाग वाले डॉक्टरों की प्रवृत्तियों पर नजर रखी जा सके। तभी 'लापता लड़कियों' की घटना के परिणाम से घटते जाते लिंग अनुपात की प्रक्रिया को रोक पाने में सफल हो सकेंगे।

राष्ट्रीय स्वैच्छिक क्षेत्र नीति - २००३

भारत सरकार के योजना आयोग के द्वारा देश में स्वैच्छिक संस्थाओं के क्षेत्र के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाने का प्रयास किया गया है। इस संबंध में उसने एक मसौदा तैयार किया है और उस पर राष्ट्रीय चर्चा आमंत्रित की है। यहां उस मसौदे का हिन्दी अनुवाद अक्षरशः प्रस्तुत है। उसमें स्वैच्छिक संस्थाओं का स्पर्श करने वाले अनेक मुद्दों की चर्चा की गई है। इस संबंध में स्वैच्छिक संस्थाओं के कार्यकर्ता योजना आयोग को अपने मंतव्य भेज सकते हैं।

आमुख

भारतीय परंपराओं और संस्कृतियों के द्वारा स्वैच्छिक कार्य को दिये गए ऊंचे दर्जे एवं मान तथा इस देश के लोगों में स्वैच्छिक प्रवृत्ति की भावना व्यापक रूप से विद्यमान होने की बात को स्वीकार करके,

स्थानीय प्रयासों, स्थानीय संसाधनों तथा सामाजिक कार्य के द्वारा सहभागी विकास की परंपरा को विकसित करके देश में स्वैच्छिक कार्य ने जो महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है, उसे पहचान कर,

सामाजिक एवं पर्यावरणीय मुद्दों व समस्याओं के बारे में लोगों में जागृति का स्तर बढ़ाने में, समाज के तमाम वर्गों को आर्थिक व सामाजिक सेवाएं प्रभावी रूप से प्रदान करने में तथा नीति-विषयक हिमायत में सरकारी व्यवस्थाओं व संस्थाओं की मर्यादाएं समझकर,

सरकार के द्वारा किये जाने वाले प्रयासों में पूरक बनने की, आर्थिक, सामाजिक व पर्यावरणीय विकास हेतु वैकल्पिक वाहक उपलब्ध करने की तथा सार्वजनिक स्तरों को सुधारने की स्वैच्छिक क्षेत्र की शक्ति को नोट करके,

सोई हुई शक्ति को उजागर करने हेतु और समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से गरीबों हेतु आर्थिक व सामाजिक विकास के संदर्भ में इष्टतम प्रभाव उत्पन्न करने हेतु सार्वजनिक, निजी व स्वैच्छिक क्षेत्र के कार्यों के बीच संवाद करने की जरूरत को स्वीकार करके,

स्वैच्छिक क्षेत्र को सुगठित करने और व्यापक बनाने के लिए तथा सामुदायिक कार्य व सामाजिक चेतना उत्पन्न करने के एक साधन के बतौर काम करने के लिए उसे सक्षम बनाने हेतु उचित नीति-विषयक एवं संस्थागत तंत्र प्रदान करने की जरूरत है, ऐसा निर्णय करके, 'राष्ट्रीय स्वैच्छिक क्षेत्र नीति-२००३' निम्न प्रकार से बनाई गई है:

१. भावी दृष्टि

भारत में ऐसी परिस्थिति निर्मित करना, ताकि अपने समाज के भले हेतु निस्वार्थ भाव से योगदान देने की मनुष्य की आंतरिक उत्कंठा को वैकल्पिक संस्थागत वाहकों एवं विविध भूमिकाओं के द्वारा सम्पूर्ण अभिव्यक्ति प्राप्त हो, और उनके राष्ट्र के प्रति योगदान को सभी आवश्यक मान-सम्मान व मान्यता दी जा सके।

२. उद्देश्य

इस भावी दृष्टि के संदर्भ में इस नीति के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

२.१ सामान्य तौर पर स्वैच्छिक कार्य और विशेष तौर पर स्वैच्छिक संगठनों को प्रोत्साहन देने हेतु सक्षमता प्रेरक कानूनी पर्यावरण उत्पन्न करना।

२.२ लोगों को, और विशेष रूप से गरीबों, वंचितों और एक किनारे कर दिये लोगों को आर्थिक व सामाजिक सेवाओं की डिजाइन तैयार करने में और उसे उपलब्ध कराने में स्वैच्छिक क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहन देना।

२.३ हिमायत, जागृति, सर्जन और सामाजिक एकत्रीकरण में स्वैच्छिक क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाना।

२.४ आपदा संचालन और उसका मुकाबला करने की तैयारी तथा स्थानीय स्तर पर सामाजिक क्षमता के निर्माण में राज्य के भागीदार के रूप में करने हेतु स्वैच्छिक क्षेत्र की क्षमता मजबूत करना और फैलाना।

२.५ स्वैच्छिक क्षेत्र सामाजिक संस्थाओं की कार्यवाही के संरक्षक की भूमिका प्रभावी रूप से अदा करे और सार्वजनिक काम करने वालों की अंतरात्मा के रक्षक के रूप में काम करे, इसके लिए स्वैच्छिक क्षेत्र को सक्षम बनाना।

२.६ किसी अनावश्यक अवरोध और निपटारे के बगैर स्वैच्छिक क्षेत्र अपने कार्य कर सकें, उसके लिए वित्तीय संसाधनों का पर्याप्त प्रवाह उस और बहे - ऐसा तंत्र निर्मित करना।

२.७ साहसिकता, तकनीकी व कौशलों के बदलाव के माध्यम के रूप में स्वैच्छिक क्षेत्र की क्षमता सुधारना।

२.८ स्वैच्छिक क्षेत्र की छाप और प्रतिष्ठा लोगों की दृष्टि में निरंतर बढ़ सके, ऐसे मानदंड स्थापित करना।

३. व्याख्याएं और विभावनाएं

३.१ स्वैच्छिक कार्य (वोलंटरी एक्शन) एक ऐसा कार्य अथवा प्रवृत्ति है जो व्यक्तिगत आर्थिक या भौतिक मुआवजे के बिना दूसरों के लाभ के लिए व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा हाथ में लिया जाता है।

३.२ अतः स्वैच्छिक संगठन (वोलंटरी ओर्गेनाइजेशन) की व्याख्या व्यक्तियों के एक ऐसे मंडल (एसोशियेशन) के रूप में की जा सकती है, कि जो (अ) स्वैच्छिक कार्य का आयोजन करने और उसका मार्ग प्रशस्त करने के लिए स्थापित हुआ है, अथवा (आ) वह अपनी नियमित प्रवृत्तियों के उपरांत ऐसे कार्य हाथ में लेता है।

३.३ सामान्य लोगों का भला करने के उद्देश्य सिद्ध करने के मकसद से स्थापित गैर-दलीय और अलाभकारी या लाभ को वितरित न करने वाले संगठनों को स्वैच्छिक संगठन माना जाता है जहां पदाधिकारी या सदस्य संगठन से कोई मुआवजा प्राप्त नहीं करता।

३.४ तकनीक एवं संचालन कौशल को ग्रामीण एवं पिछड़े इलाकों में तब्दील करने हेतु सामाजिक साहसिकता एक मूल्यवान वाहन के रूप में उभर आई है। इस वस्तुस्थिति को पहचान कर ऐसे संगठनों को भी स्वैच्छिक संगठन गिना जाएगा उसमें शर्त यही है कि उसमें मुआवजा और अथवा लाभ तुलनात्मक व्यावसायिक संगठनों का सार्वजनिक क्षेत्र से बहुत नीचे होता है।

३.५ जहां लोग अपने व्यक्तिगत स्तर पर स्वैच्छिक कार्य करते हों, वहां ऐसे व्यक्तियों को व्यक्तिगत स्वैच्छिक संगठन के रूप में गिना जाएगा।

३.६ अन्य किसी भी स्वरूप के संगठन या जो सामाजिक और सामुदायिक कार्य करता हो, अथवा सामाजिक दायित्व निभाता हो, और जहां मालिक/सदस्य ऐसी प्रवृत्तियों से अधिक मुआवजा प्राप्त न करते हों, उसे भी ऐसी निश्चित प्रवृत्तियां हाथ में लेने हेतु स्वैच्छिक संगठन के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

३.७ स्वैच्छिक संगठनों के नेटवर्क्स, मंडलों और महामंडलों को भी स्वैच्छिक संगठन गिना जाएगा।

४. कानूनी और कार्य का वातावरण

४.१ स्वैच्छिक संगठनों को औपचारिक या कानूनी मान्यता अभी सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट-१८६०, इंडियन ट्रस्ट्स एक्ट-१८८२, चेरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट एक्ट -

१९२०, इंडियन कंपनीज एक्ट-१९५० की धारा - २५ तथा राज्यों के इसी प्रकार के कानूनों द्वारा दी जाती हैं। इन कानूनों की बहुत सी व्यवस्थाएं बोदी-पुरानी या निरर्थक हो गई हैं और आज स्वैच्छिक के नियंत्रण की बजाय उसे प्रोत्साहन देने की ज्यादा जरूरत है, यह देखते हुए, ऐसे तमाम कानूनों का पुनः आकलन किया जाएगा और स्वैच्छिक क्षेत्र के शुभचिंतकों और स्वैच्छिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ उचित विचार- विमर्श के बाद उसमें अनुकूल सुधार किये जाएंगे।

४.२ स्वामित्व फर्मों, सहभागी फर्मों और सहकारी मंडलों जैसी कंपनियों के सिवाय निजी व्यापारिक संगठन स्वैच्छिक प्रवृतियां आसानी से कर सकें इसके लिए उनके काम से संबंधित कानूनों में उचित व्यवस्थाएं की जाएंगी।

४.३ सामुदायिक मंडल, युवा मंडल, महिला मंडल जैसे अनौपचारिक समूह या मंडल अपनी मुख्य प्रवृत्ति के रूप में यदि स्वैच्छिक कार्य हाथ में लेते हों अथवा स्वयं-सहायता समूह जैसे मंडल उप प्रवृत्ति के रूप में उन्हें हाथ में लेते हों तो, यदि वे चाहें तो उच्च स्तरीय सरकारों के साथ उचित संबंध के साथ स्थानीय स्तर की सरकारों में अपना पंजीकरण करा सकते हैं। यदि सार्वजनिक राशि का उपयोग न होना हो तो इसका ध्यान रखा जाना चाहिए कि यह पंजीकरण उपयोग - मित्र और गैर-बाध्यकारी हो।

४.४ स्वैच्छिक कार्य में लोगों की सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए पत्रक रखा जाएगा और वह सामाजिक व आर्थिक विकास की प्रक्रिया में शामिल सभी सरकार व गैर-सरकारी संस्थाओं को निशुल्क प्राप्त होगा।

४.५ स्वैच्छिक संगठनों के नेटवर्क, मंडलों व महामंडलों को देश में स्वैच्छिक आंदोलन को तथा उनकी आवाज को सुने जाने के लिए सहायता दी जाएगी। ऐसे संगठन औपचारिक स्तर पर पंजीकरण करायें, ऐसी अपेक्षा है।

४.६ सभी स्वयंसेवकों को उचित मान- सन्मान प्राप्त हो, इसके लिए स्वयंसेवकों के अधिकारों व विशेषाधिकारों के दस्तावेज का एक नमूना तैयार कराया जाएगा और सरकार के सभी विभाग और सार्वजनिक संस्थाएं उसे स्वीकार करेंगी।

४.७ सार्वजनिक पैसों से होने वाले कार्य में स्वैच्छिक संगठनों को शामिल करने संबंधी नियम व कार्यविधियां ई-शासन के साधनों और सरल तंत्र स्वीकार करके सुधारी जाएंगी।

४.८ सभी राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों में तथा केन्द्रीय स्तर पर योजना आयोग में स्वैच्छिक क्षेत्र के सहयोग हेतु संयुक्त तंत्र या विमर्श-मंच स्थापित किया जाएगा।

४.९ स्वैच्छिक संगठनों की शिकायतों के निवारण हेतु और उनके काम, विशेष रूप से परियोजनाओं के क्रियान्वयन संबंधी तमाम प्रश्नों के हल के लिए मंत्रालय में/ राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर समन्वय तंत्र स्थापित किया जाएगा।

४.१० स्वैच्छिक संगठनों की सूची/पत्रक बनाने की प्रक्रिया का कंप्यूटरीकरण कराया जाएगा तथा योजना आयोग स्वैच्छिक क्षेत्र के बारे में राष्ट्रव्यापी सूचना प्रदान करेगा।

४.११ केंद्र व राज्य दोनों स्तरों पर सरकारें स्वैच्छिक क्षेत्र के द्वारा होने वाले उल्लेख-योग्य कार्य की मान्यता और पुरस्कार हेतु तथा नीति-विषयक चर्चा शुरू करने हेतु कार्यकारी मॉडल और सफलता की कहानियों के प्रकाशन हेतु तथा ऐसे ही प्रकार के कार्यों के पुनरावर्तन हेतु तथा ऐसे प्रयासों में सुधार लाने हेतु व्यवस्था निर्मित करेंगी।

५. विकास में भागीदारी

५.१ भागीदारी का अर्थ यह है कि सहभागियों के बीच संयुक्त रूप से सहमत लक्ष्यांक बंट गए हैं और समान हित तथा समान स्वामित्व भाव के साथ सक्रियता से काम करने की सहभागियों की जिम्मेदारी है।

५.२ अधिक मानव शक्ति प्राप्त करके तथा अधिक प्रतिबद्धता और संवेदनशीलता द्वारा सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने हेतु सरकार शालाओं, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों, परिवार कल्याण केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, अस्पतालों आदि सार्वजनिक सेवाएं देने वाली संस्थाओं में स्वयंसेवकों के शामिल करने को प्रोत्साहन दिया जाएगा। निवृत्त व्यक्तियों तथा बड़ों के ज्ञान व अनुभव का उपयोग करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। स्वयंसेवकों को इस तरह शामिल करने संबंधी संबंधित सार्वजनिक सुविधाओं के अनिवार्य क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शक नियम राज्यों और स्थानीय सरकारों के द्वारा तैयार किये जाएंगे।

५.३ सार्वजनिक एवं सामुदायिक सम्पति के उपयोग को सुधारने के लिए सरकार स्वैच्छिक संगठनों द्वारा सरकारी सुविधाओं के उपयोग हेतु मंजूरी देने तथा वस्तुतः उसे प्रोत्साहन देने के मार्गदर्शन नियम बनायेगी ताकि इन संस्थाओं के सामान्य कार्य का पूरक स्वैच्छिक कार्य हाथ में लिया जा सके।

५.४ स्थानीय बातों और सर्वसामान्य जरूरतों के विषय में स्वैच्छिक क्षेत्र की जानकारी के संदर्भ में जिले, तहसील व ग्राम स्तर पर आयोजन में स्वैच्छिक संगठनों को शामिल करने पर प्रोत्साहन दिया जाएगा।

५.५ हिमायत और आयोजना के उद्देश्यों हेतु स्थानीय सूचना तंत्र स्थापित करने और उसे बनाये रखने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को प्रोत्साहन दिया जायेगा तथा सहयोग दिया जाएगा।

५.६ केन्द्र व राज्य सरकारों के मंत्रालयों व विभागों को स्वैच्छिक संगठनों और सक्षम नेटवर्क संगठनों की प्रतिनिधि स्वरूप सूची बनानी चाहिए कि जिनके साथ आर्थिक व सामाजिक नीति, आयोजन और विकासपरक हस्तक्षेप की निर्माण संबंधी बातों के विषय में नियमित रूप से चर्चा-परिचर्चा की जा सके।

५.७ विविध सार्वजनिक सेवाओं की सुविधाओं और कल्याणपरक योजनाओं के कार्यों व संचालन में योग्य सत्ता व अधिकार के वितरण के साथ स्वैच्छिक संगठनों को शामिल करने में राज्य और स्थानीय सरकारों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

५.८ स्थानीय स्तर पर परियोजानाओं में भागीदारी, अमल और निर्वाह हेतु लोगों को एकत्र व संगठित करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

५.९ निजी-सार्वजनिक भागीदारी की भावना के साथ अनुकूल स्थानीय सार्वजनिक और अथवा सामुदायिक परियोजनाओं को हाथ में लेने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए मार्गदर्शक सिद्धांत बनाये जाएंगे और उनकी घोषणा की जाएगी।

५.१० सार्वजनिक सुविधा के कार्यों की देखरेख में और सामाजिक क्षेत्रों में सरकारी परियोजनाओं और योजनाओं के क्रियान्वयन में स्वैच्छिक संगठनों को यदि अन्यथा दबाव रूप कारण न हो, तो वास्तविक कार्य और क्षमता के संदर्भ में स्तरवार संस्थाकृत किया जाएगा। स्वैच्छिक संगठनों के देखरेख के कार्य और अमल में उनकी सीधी भागीदारी के कार्य के बीच कोई हित-संघर्ष न हो, इसका ध्यान रखा जाएगा।

५.११ तमाम सरकारी योजनाएं और कार्यक्रम - विशेष रूप

नयी सरकारी नीति सामाजिक विकास हेतु हानिकारक

छोटे दाताओं द्वारा निश्चित उद्देश्यों से दी जाने वाली सहायता हमारी प्राथमिकताओं को गलत मार्ग पर ले जाती है और भारत ऐसे स्तर पर पहुँच गया है की जहां वह अपने आंतरिक संसाधनों द्वारा अपने अधिकांश कार्यक्रम चला सकता है और समस्याओं का सामना कर सकता है। ऐसे बहाने के अधीन भारत सरकार ने हाल में एकपक्षीय रूप से ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, यूरोपीय संघ, जर्मनी और रूस को छोड़कर अनेक द्विपक्षी सहायता देने वालों को अलविदा कह देने का निर्णय लिया है। क्या यह वाकई हकीकत है या फिर हमारी सरकार करोड़ों गरीबों और एक किनारे कर दिए गए लोगों के साथ राजनीतिक खेल खेलने का प्रयास कर रही है?

यह एक सार्वत्रिक हकीकत है कि 'बड़े खिलाड़ी' महत्त्वपूर्ण होते हैं और इसीलिए अधिकांश विकासपरक कार्यक्रम विश्व बैंक, यूरोपीय संघ, एशियाई विकास बैंक, डी.एफ.आई.डी. और जापानियों की पकड़ में आ गये हैं। परंतु एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि 'छोटे खिलाड़ी' गरीबों और तिरस्कृतों के अधिकारों जैसे कई वास्तविक विकासपरक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते रहे हैं। इन मुद्दों में सामाजिक और आर्थिक सक्षमता, सामाजिक व साम्प्रदायिक एकता और मानवाधिकारों का सामान्यतया समावेश होता है और वास्तव में ये मुद्दे ही सरकार में बैठने वाले लोगों के लिए समस्यायें खड़ी करते हैं। इसीलिए उसने ऐसी प्रवृत्तियों को मदद देने वाले दाताओं को रोकने का यह मार्ग अपनाने का निर्णय लिया है। अगर यह हकीकत न हो तो फिर सरकार ने गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान देने के लिए अग्रिम मंजूरी लेने की शर्त द्विपक्षी दाताओं पर क्यों लादी है और वर्ष में दो बार विवरण प्रस्तुत करने को क्यों कहा गया है? साथ ही, निश्चित समयावधि में उस राशि का उन्होंने किस तरह उपयोग किया, यह बताना क्यों अनिवार्य किया गया है?

सरकार के इस निर्णय से अनेक प्रश्न और संदेह पैदा होते हैं, अतः उन्हें भारतीय जनता के समक्ष स्पष्टीकरण करना जरूरी है। सर्वप्रथम तो एशिया के आधे और विश्व के एक चौथाई गरीब भारत में हैं, तब सरकार किस तरह देश में गरीबों की समस्याओं का सामना करेगी? 'सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यांक' हासिल करने के लिए वह पैसा कहां से लाएगी? दूसरे, द्विपक्षी दाता जो विकासपरक योजनाओं को मदद देते हैं, उनमें से राज्य सरकारें हट जायेंगी तो उन योजनाओं का क्या होगा? तीसरे, वित्त मंत्री ने मंत्रालयों और योजना आयोग या संसद के साथ चर्चा किये बिना यह एकपक्षी स्तर पर नीति-विषयक निर्णय कैसे ले लिया? चौथे, भारत सरकार योजना आयोग और राज्य सरकारों की मांगें पूरी कैसे करेगी? प्रायः योजना आयोग ने कहा है कि भारत को निरंतर बढ़ती जाती सामाजिक विकास परक मांगों को पूरा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा संसाधनों की जरूरत है। २००२-०७ की दसवीं पंच-वर्षीय योजना में संसाधनों की कमी के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की गई है और इच्छित वृद्धि दर के लिए कर्ज के सिवाय बाहरी पूंजी पर काफी निर्भरता रखी गई है। योजना आयोग ने मदद के और ज्यादा प्रवाह की हिमायत की है जबकि वित्त मंत्रालय नितांत विरुद्ध दिशा में व्यवहार कर रहा है। राज्य सरकारें भी समान रूप से संबंधित हैं और अनेक राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करने की स्थिति में भी नहीं हैं। ऐसे में विकासपरक कार्यों के लिए प्राप्त पैसा वेतन चुकाने के काम में लिया जाता है। अगर राज्य सरकारों को द्विपक्षी संस्थाओं की और से मदद न मिले, तो फिर वे राज्य की विकासपरक प्राथमिकताओं की चुनौतियों का सामना कैसे करेंगी? पांचवें, विगत ५० वर्षों में जिन देशों ने भारत को सहायता दी है उनके साथ हमारे द्विपक्षी संबंधों का क्या होगा? अनेक द्विपक्षी दाता-देशों ने इस नीति-विषयक निर्णय के प्रति सार्वजनिक रूप से अपनी नाराजगी प्रकट की है। इस रोष को सरकार शांत कैसे करेगी?

कई लोगों को इस प्रकार का नीति-विषयक निर्णय यह संकेत दे रहा है कि भारत एक आर्थिक सत्ता बन रहा है और इसलिए वह 'संयुक्त राष्ट्र' (यूनाइटेड नेशन्स) की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता प्राप्त करने योग्य है। अगर ऐसा ही है तो फिर अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे बड़े खिलाड़ियों पर इस नीति विषयक निर्णय का असर क्यों नहीं हुआ? परंतु 'बड़े खिलाड़ी' हमें मान्यता दें, इसके लिए क्या हमें जी-२१ या जी-२४ समूह के विकासमान देशों के साथ अपने संबंधों का बलिदान दे देना चाहिए या नहीं, यह सवाल खड़ा होता है। इन तथाकथित बड़े खिलाड़ियों में रूस को छोड़कर दूसरा कोई भी भारत का स्वाभाविक समर्थक नहीं रहा, तो जो देश वर्षों से भारत के मित्र रहे हैं, उन विकासमान देशों को खो देना क्या भारत के लिए अच्छा होगा? देश के संबंधित नागरिक भारत सरकार पर इस नीति विषयक निर्णय को बदलने के लिए दबाव डालें। साथ ही यह प्रश्न भी पूछा जाना चाहिए कि सरकार नीति विषयक लेते समय बार-बार संसद की उपेक्षा क्यों करती है। किसी भी नीति के बारे में संसद में चर्चा होनी चाहिए और संसद की मंजूरी मिलने के बाद ही उस नीति की घोषणा होनी चाहिए।

('वालेंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया' के समाचारपत्र के नवंबर, २००३ के अंक से साभार)

से जो लाभार्थी परक हों, ऐसे, विशेष रूप से उनके उद्देश्य, लक्ष्य और लाभों के स्वरूप के बारे में यथासंभव व्यापक प्रचार करने में स्वैच्छिक संस्थाओं को शामिल करे - यह जरूरी है। यह कार्य प्रभावी ढंग से करने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सभी प्रस्तुत सूचनाएँ उपलब्ध करा दी जाएगी।

५.१२ सरकार ज्वलंत सामाजिक व आर्थिक प्रश्नों के प्रति जन-जागृति उत्पन्न करने में आर्थिक सहायता प्रदान करने सहित स्वैच्छिक क्षेत्र के साथ सक्रिय रूप से संपर्क स्थापित करेगी तथा प्रतिक्रिया प्राप्त करने हेतु उसकी प्रक्रिया का तंत्र स्थापित करेगी।

५.१३ सरकार और स्वैच्छिक क्षेत्र के बीच पारस्परिक समझ तथा सद्भाव बढ़ाने हेतु सरकार स्वैच्छिक कार्य में सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की भागीदारी को प्रोत्साहन देगी और नौकरी के नियमों में उससे संबंधित उचित व्यवस्था करेगी।

६. वित्तीय सवाल

६.१ मुख्य बात यह है कि स्वैच्छिक संगठन समुदाय में से और दानी-मानी या व्यापारी संगठनों के दान से संसाधन प्राप्त करें, ऐसी अपेक्षा है। सामुदायिक मदद की मात्रा व निरंतरता स्वैच्छिक संगठन की क्षमता, प्रतिष्ठा, स्वीकार्यता और समर्पण का कुंजी रूपी निर्देशक बनेगा।

६.२ सार्वजनिक संस्थाओं की चालू प्रवृत्तियों में चहां स्वैच्छिक क्षेत्र पूरक बनता है, वहां स्वैच्छिक संगठन को जो खर्च हो, अथवा जो करना पड़ता है, उसका भुगतान करने हेतु संबंधित संस्थाओं के बजट में उचित व्यवस्था की जाएगी।

६.३ जहां किसी प्रकार की निश्चित प्रवृत्तियां हाथ में लेने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को घोषित कोष तबदील करना जरूरी हो जाए, वहां मान्यता पद्धति अपनानी ही पड़ती है। स्वैच्छिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श करके विविध वित्तीय मर्यादाओं के साथ विभिन्न स्तर की सरकारें मान्यता देने के लिए स्तरीकरण पद्धति अपनायेगी।

६.४ स्वैच्छिक क्षेत्र की और आर्थिक प्रवाह बहे, इसके लिए सरकार ऐसी कार्यवाही करेगी कि स्वैच्छिक संगठन बैंकों और वित्तीय संस्थाओं का कोष मान्यता या सामूहिक गारंटी द्वारा प्राप्त कर सकें। ऐसे ऋण स्वैच्छिक संगठनों की आवर्तक आय में से या सरकार द्वारा पुरस्कृत कार्यक्रमों के मामलों में सरकार द्वारा प्रदत्त पैसों में से वापिस लिये जा सकेंगे।

६.५ स्वैच्छिक क्षेत्र को मदद देने हेतु सरकार और उसकी संस्थाओं के द्वारा हाल में जो विविध योजनाएं - यथा, कापार्ट - चलाई जा रही है, उसमें इस नीति के इरादों का प्रतिबिम्ब पड़े, इस तरह अनुकूल सुधार करके मजबूत किया जाएगा और व्यापक बनाया जाएगा।

६.६ गैर-सरकारी संस्थाओं को बाह्य द्विपक्षी वित्तीय कोष प्राप्त हो, इसे प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार द्वारा लिये गए निर्णय के संदर्भ में इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने हेतु सरकार के द्वारा कार्यविधियां तय की जाएंगी। यदि जरूरी लगेगा तो औपचारिक सरकारी सम्पर्क द्वारा पर्याप्त सुविधा की भी उसमें व्यवस्था की जाएगी। वित्त के ऐसे प्रवाह के लिए स्वैच्छिक संगठनों को प्राथमिकता दी जाएगी।

६.७ एफ.सी.आर.ए. के नियमों में एक ही स्थान से मंजूरी मिले, इसके लिए वांछित संशोधन कर लिया जाएगा।

६.८ क्रियान्वयन की गति पर विपरीत प्रभाव न पड़े तथा स्वैच्छिक संगठनों के स्थायित्व के साथ समझौता न हो, इसके लिए वित्तीय प्रवाह की स्थिरता व पूर्व-सूचनीयता अनिवार्य है। केन्द्र एवं राज्य पर्यवेक्षण आयोग संबंधित सार्वजनिक कर्मचारियों के असाधारण व्यवहार या इरादतन

विलंबकारी नीति के मामले द्रुत गति से हल करने की कार्यवाही करेगा।

६.९ संबंधित स्वैच्छिक संगठन तथा अन्य हितैषियों के साथ पहले से विचार-विमर्श किये बिना वित्तीय मामलों की शर्तों या ढांचे में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए।

७. क्षमता वृद्धि और प्रशिक्षण

७.१ सरकार विशेष रूप से स्वैच्छिक संगठनों और नेटवर्क संगठनों द्वारा प्रेरित संस्थाओं को, ऐसे नये आकांक्षियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने हेतु प्रोत्साहन देगी जो जीवन वृत्ति के रूप में स्वैच्छिक कार्य अथवा सामाजिक साहसिकता को अपनाना चाहें और उन्हें स्वैच्छिक संगठन बनाने में भी मदद दी जाएगी।

७.२ संगठनात्मक, संचालकीय और तकनीकी कौशल विकसित करने हेतु प्रशिक्षण कार्यप्रणाली आयोजित करने में तथा अन्य स्वैच्छिक संगठनों की श्रेष्ठ प्रणालियों का प्रचार-प्रसार करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को प्रोत्साहन देगी और उन्हें मदद देगी।

७.३ स्थानीय क्षमता निर्मित करने हेतु और पंचायतों की क्षमता बढ़ाने के प्रशिक्षण के आयोजन में स्वैच्छिक संगठनों को सरकार प्रोत्साहन देगी तथा मदद देगी।

७.४ सरकार स्वैच्छिक क्षेत्र और सार्वजनिक वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थाओं के बीच उचित टैक्नोलोजी के व्यापक प्रसार हेतु संबंध स्थापित करने में सभी तरह की मदद देगी।

७.५ सरकार सार्वजनिक संस्थाओं में काम करने वाले स्वयंसेवकों को उनकी क्षमता वृद्धि हेतु उचित प्रशिक्षण प्रदान करेगी।

७.६ समस्त नीति विषयक चर्चा में भागीदार बनने की स्वैच्छिक क्षेत्र की क्षमता बढ़ाने नियमित स्तर पर वर्तमान और उभरते तमाम बड़े आर्थिक व सामाजिक प्रश्नों के बारे में उन्हें सूचित रखने की व्यवस्था की जाएगी। सभी महत्त्वपूर्ण सरकारी मंत्रालयों और विभागों को उनकी वर्ष के दौरान गतिविधियों के अंतर्गत बतौर ऐसी सूचनापरक कार्यशालाएं आयोजित करने हेतु प्रोत्साहन दिया जाएगा।

८. शासन

८.१ शासन में उत्तरदायित्व और पारदर्शिता महत्त्वपूर्ण मुद्दे हैं और स्वैच्छिक क्षेत्र इस मामले में उदाहरण पेश करे, ऐसी अपेक्षा है। पैसा देने वाले के प्रति उत्तरदायित्व महत्त्वपूर्ण है, पर यह पर्याप्त नहीं और शुभचिंतकों के प्रति सामाजिक जवाबदारी पर ज्यादा बल देना चाहिए।

८.२ स्वैच्छिक क्षेत्र में विविध प्रकार की संस्थाएं हैं, यह देखते हुए, और उन सब के लिए एक ही प्रकार के स्तर तय करना वांछनीय नहीं, यह देखते हुए, स्वैच्छिक संगठनों को उनकी आचार संहिता बनाने और शासन के स्तर तय करने में प्रोत्साहन दिया जाएगा। वे उचित रूप से घोषित होने चाहिए तथा घोषणा और प्रतिवेदन की कार्यवाहियों के साथ उन्हें महामंडलों या नेटवर्क संगठनों द्वारा प्रकाशित कराना चाहिए।

८.३ सभी स्वैच्छिक संगठन ऐसी एक या अधिक आचार संहिताएं और स्तर स्वीकार करें यह अपेक्षित है।

८.४ पारदर्शिता में महत्त्वपूर्ण तत्व स्वैच्छिक संगठनों के हिसाबों में दो आवश्यक लक्षण प्रतिबिम्बित होते हैं, यह जरूरी है: (१) स्वैच्छिकता का प्रमाण, संगठन के सदस्य, अधिकारियों और महत्त्वपूर्ण कर्मचारियों के खर्च से इसे मापा जा सकता है। (२) सामुदायिक मदद की मात्रा और निरंतरता।

शेष पृष्ठ 23 पर

विश्व सामाजिक मंच

'विश्व सामाजिक मंच' की तर्ज पर गुजरात में 'गुजरात सामाजिक मंच' गठित करने हेतु लोग गतिमान हो गये हैं। इस सन्दर्भ में इस लेख में 'विश्व सामाजिक मंच' क्या है और इसके सिद्धांत क्या-क्या हैं, इसका विवरण दिया गया है। 'विश्व सामाजिक मंच' वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण तथा सैन्यीकरण के द्वारा जो नव साम्राज्यवाद खड़ा हो रहा है, उसके समक्ष संघर्ष ठानने वाले संगठनों एवं आंदोलनों का एक वैश्विक मंच है, यह इसके सिद्धांतों से जाहिर होता है।

प्रस्तावना

'विश्व सामाजिक मंच' (वर्ल्ड सोशियल फोरम-डब्ल्यू.एस.एफ.) सन् २००१ से 'विश्व आर्थिक मंच (वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम-डब्ल्यू.ई.एफ) के प्रतिपक्ष के रूप में गठित हुआ है। वैश्वीकरण, नव-उदारीकरण और सैन्यीकरण की शक्तियो के विरोध में तथा वैकल्पिक विचार व व्यवहार प्रस्तुत करने के लिए इसका गठन हुआ है।

अगले वर्ष १६ से २१ जनवरी २००४ के बीच मुम्बई में 'विश्व सामाजिक मंच' का सम्मेलन होगा। यह उसकी चौथी बैठक होगी और उसमें अनुमानतः ७५००० सहभागियों के एकत्रित होने की संभावना है। भारत के अनेक राज्यों में अब ऐसे सामाजिक मंच सक्रिय हो गये हैं। प्रत्येक राज्य में ऐसे सामाजिक मंच हेतु स्थानीय स्तर पर 'विश्व सामाजिक मंच' के विचारों को लेकर चर्चा हो, समन्वय हो और कार्यनीति बने, इसके लिए समितियों का गठन किया गया है।

गत वर्ष हैदराबाद में 'एशियन सोशियल फोरम' (ए.एस.एफ.) का सम्मेलन हुआ था। प्रादेशिक स्तर का सामाजिक मंच गठित करने के पीछे उद्देश्य यह था कि प्रादेशिक स्वरूप की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक समस्याओं की चर्चा हो और उनका हल तलाशने के प्रयास हों।

इस संदर्भ में 'गुजरात सामाजिक मंच' गठित करने के लिए सितंबर माह में दो बैठकें आयोजित की गई थीं। प्रथम बैठक दिनांक ८-९-२००३ को अहमदाबाद में हुई थी, जिसमें गुजरात के १२ जिलों से १३० प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे। उसमें आदिवासियों, महिलाओं, दलितों एवं बालकों की समस्याओं पर चर्चा हुई थी।

इसके अलावा गुजरात के सम्प्रदायवाद और धर्मांध परिबलों, जल के निजीकरण, लघु किसानों के शोषण, गाँवों में प्राथमिक शिक्षा के अभाव और बेकारी की समस्याओं के विषय में भी चर्चा हुई थी। ऐसी संभावनाएं हैं कि गुजरात में 'गुजरात सामाजिक मंच' आगामी तीन माह के दौरान गठित हो जाएगा।

'विश्व सामाजिक मंच' के सिद्धांत

सर्वप्रथम 'विश्व सामाजिक मंच' की बैठक २५ से ३० जनवरी २००१ के मध्य ब्राजील के पोर्टो एलिग्री में आयोजित हुई थी। इसे गठित करने का विचार ब्राजील के संगठनों की एक समिति को उद्भूत हुआ था और उसी ने इसका आयोजन कियाा था। उसके परिणामों और उसके द्वारा प्रस्तुत अपेक्षाओं का मूल्यांकन करने पर ऐसा लगा था कि 'विश्व सामाजिक मंच' का एक 'सिद्धांतों का घोषणा पत्र' (चार्टर ऑव् प्रिंसिपल्स) बनाया जाए, ताकि इस प्रयास को सतत चालू रखने के लिए मार्गदर्शन मिलता रहे। 'विश्व सामाजिक मंच' जब-जब भी मिले, तब उसकी प्रक्रिया और उसके आयोजन में भाग लेनो वाले सभी लोगों को इस घोषणा पत्र में जो निर्णय लिये गए और जिनके कारण उसे सफलता मिली, उसके आधार पर ये सिद्धांत गढ़े गए थे और बाद में दिनांक १०-६-२००१ की 'वर्ल्ड सोशियल फोरम इंटरनेशनल काउंसिल' की बैठक में उन्हें संशोधन के साथ स्वीकार किया गया था। ये महत्त्वपूर्ण सिद्धांत निम्नानुसार हैं:

(१) नव-उदारतावाद और पूंजी द्वारा विश्व पर वर्चस्व जमाने के

प्रयास का व किसी भी तरह के साम्राज्यवाद का विरोध करने वाले तथा मनुष्य जाति के बीच, सथ ही मनुष्य जाति व पृथ्वी के बीच फलदायी संबंध विकसित करने की दिशा में एक वसुधैव समाज स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध नागरिक समाज के समूहों व आंदोलनों द्वारा चिंतन-मनन, विचाारों की प्रजातांत्रिक स्तर की चर्चा, प्रस्तावों के निर्माण, अनुभवों के मुक्त विनिमय और प्रभावी कार्य हेतु अंतर्संबंध स्थापित करने के लिए 'विश्व सामाजिक मंच' एक खुला मिलन स्थल है।

(२) पोर्टो एलिग्री में सम्पन्न 'विश्व सामाजिक मंच' की परिषद समय व स्थल की दृष्टि से एक स्थानीय स्तर की घटना थी। अब 'दूसरा विश्व संभव है' ऐसी जो घोषणा पोर्टो एलिग्री में की गई है, उसके संदर्भ में विकल्प खोजने-गढ़ने हेतु एक ऐसी स्थायी प्रक्रिया बन रही है कि जिसे, उसे सहयोग देने वाली घटनाओं में नहीं देखा जा सकता।

(३) 'विश्व सामाजिक मंच' एक वैश्विक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के भाग के रूप में आयोजित सभी बैठकें अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण रखती हैं।

(४) 'विश्व सामाजिक मंच' में जो विकल्प सूचित किये गए हैं, वे वैश्वीकरण के विरोध में हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया पर विशालकाय बहुराष्ट्रीय कंपनियां अंकुश रखती हैं, और जो सरकारें व अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इन कंपनियों के हितों की सेवा करती हैं, वे अंकुश रखती हैं और उनमें राष्ट्रीय सरकारों की मिली भगत होती है। यह प्रक्रिया इस तरह गढ़ी है कि वैश्वीकरण इस एकता के साथ विश्व के इतिहास में एक नए कदम के रूप में आए। इसका विरोध सार्वत्रिक मानवाधिकारों को पर्यावरण के संरक्षण के लिए है। वह ऐसी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं और संस्थाओं पर आधारित है कि जो सामाजिक न्याय, समानता और लोगों के सार्वभौमत्व की चिंता करती है।

(५) 'विश्व सामाजिक मंच' मात्र नागरिक समाज के संगठनों एवं आंदोलनों को एकत्र करता है और उन बीच संबंध स्थापित करता है, परंतु यह विश्व के नागरिक समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था बनने का इरादा नहीं रखता।

(६) 'विश्व सामाजिक मंच' की बैठक 'विश्व सामाजिक मंच' नामक एक संस्था के स्थान पर चर्चा-विचारणा नहीं करती। अतः इस मंच की किसी भी आवृत्ति से किसी को भी इसके सभी सहभागियों का मंतव्य व्यक्त करने का अधिकार नहीं दिया जा सकेगा। 'मंच' के सहभागियों को एक संस्था के बतौर निर्णय लेने हेतु नहीं कहा जा सकेगा। ऐसा मतदान द्वारा या मान्यता द्वारा नहीं होगा, कार्य संबंधी घोषणाओं या आवेदनों से भी नहीं होगा। वे सभी या उनमें से बहुमत को ऐसे किसी मामले में अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करने या 'मंच' को एक संस्था के रूप में विचार प्रस्थापित करने को नहीं कहा जाएगा। इस तरह यह सत्ता का केन्द्र नहीं, जिसके बारे में उसकी बैठकों में सहभागियों के बीच विवाद हो, या फिर उसमें भाग लेने वाले संगठनों और आंदोलनों द्वारा कार्य और अंतर्सम्बंधों का वह एकमात्र विकल्प भी नहीं।

(७) इसके बावजूद 'मंच' की बैठकों में भाग लेने वाले संगठनों या संगठनों के समूहों को ऐसी बैठकों के दौरान, जिन घोषणाओं या कार्यों के बारे में निर्णय लेना हो, उन पर चर्चा करने का अधिकार रहेगा, वे ऐसा व्यक्तिगत रूप में या अन्य सहभागियों के साथ मिलकर कर सकेंगे। 'विश्व सामाजिक मंच' संगठनों या संगठनों के समूहों द्वारा की गई चर्चा के आधार पर लिये गए निर्णयों को अपने पास उपलब्ध साधनों द्वारा फैलाव करेगा, और उनमें कोई आदेश नहीं देगा, वर्ग खड़े नहीं करेगा उसे सेंसर नहीं करेगा या नियंत्रित नहीं करेगा।

(८) 'विश्व सामाजिक मंच' बहुवादी, विविधीकृत, अनुबंध-विहीन, गैर-सरकारी और निर्दलीय संदर्भ है और विकेंद्रित रूप से यह द्वितीय विश्व स्थापित करने हेतु स्थानीय स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ठोस कार्यों में सम्मिलित संगठनों व आंदोलनों में

अंतर्सम्बंध स्थापित करता है।

(९) 'विश्व सामाजिक मंच' हमेशा इसमें भाग लेने का निर्णय लेने वाले संगठनों और आंदोलनों की प्रवृत्तियों की विविधता तथा बहुलता के प्रति मन को खुला रखने वाला मंच है; उनमें विविध वंशों, जातियों, पीढ़ियों व भौतिक क्षमताओं के वैविध्य के प्रति भी 'मंच' खुला है। वैसे, उनको 'विश्व सामाजिक मंच' के सिद्धांत स्वीकार करने पड़ेंगे। 'मंच' में दलीय संगठन या सैन्य संगठन भाग नहीं लेंगे। इन सिद्धांतों का स्वीकार करने वाले नेताओं और विधायकों को व्यक्तिगत स्तर पर इसमें भाग लेने के लिए निमंत्रण दिया जा सकेगा।

(१०) 'विश्व सामाजिक मंच' अर्थतंत्र, विकास और इतिहास विषय के तमाम सर्वसत्तावादी व नियतिवादी मंतव्यों का विरोध करता है, तथा राज्य द्वारा सामाजिक अंकुश के साधन के रूप में हिंसा के उपयोग का भी विरोध करता है। वह मानव अधिकारों, सच्चे प्रजातांत्रिक व्यवहारों, सहभागी लोकतंत्र, शांतिपूर्ण संबंधों तथा लोगों, विविध वंशों, जातियों के बीच एकता एवं समानता को मान देता है तथा एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति पर आधिपत्य तथा वर्चस्व के सभी स्वरूपों की निंदा करता है।

(११) चर्चा के लिए 'विश्व सामाजिक मंच' विचारों का एक ऐसा आंदोलन है कि जो चिंतन को प्रेरित करता है तथ इस चिंतन के परिणामों का पारदर्शी प्रसार करने हेतु प्रेरित करता है। पूंजी के द्वारा वर्चस्व जमाने की विधियों और व्यवस्थाओं, इस वर्चस्व का प्रतिकार करने और उसे तोड़ने के कार्यों व साधनों और अवशिष्ट तथा असमानता की समस्याएं हल करने के विकल्पों के बारे में चिंतन होगा। ऐसा भेदभाव और सामाजिक असमानता की यह प्रक्रिया पूंजीवादी वैश्वीकरण की प्रक्रिया है कि जो जातिवादी, वंशवादी और पर्यावरण का विनाश करने वाली है तथा अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रक्रिया चलती है।

(१२) अनुभवों के आदान-प्रदान के तंत्र के रूप में 'विश्व सामाजिक मंच' अपने सहभागी संगठनों व आंदोलनों के बीच समझ बने और पारस्परिक मान्यता प्राप्त हो, उसे प्रोत्साहन देता है। और उनके बीच के आदान-प्रदान को विशेष महत्त्व की बात मानता है। लोगों की जरूरतें पूरी करने संबंधी आर्थिक प्रवृत्ति और राजनीतिक उपाय तथा वर्तमान व भावी पीढ़ियों हेतु प्रकृति को आदर देने संबंधी प्रवृत्तियों और उपायों के बारे में यह समझ विकसित हो, यह महत्त्व की बात है।

(१३) अंतर्सम्बंधों के संदर्भ के रूप में 'विश्व सामाजिक मंच' चाहता है कि समाज के संगठनों व आंदोलनों के बीच सार्वजनिक तथा निजी दोनों प्रकार के जीवन में नए राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संबंध उत्पन्न हों तथा सुदृढ हों। विश्व को अमानवीय बनाने की जो प्रक्रिया चल रही है, वह उसके अहिंसक सामाजिक प्रतिकार की शक्ति बढ़ायेगा और इन आंदोलनों व संगठनों के कार्यों द्वारा जो मानवता को मजबूत बनाने के उपाय किये जा रहे हैं, उन्हें सुदृढ़ करेगा।

(१४) 'विश्व सामाजिक मंच' एक ऐसी प्रक्रिया है जो अपने सहभागी संगठनों को अपने कार्य स्थानीय स्तर से राष्ट्रीय स्तर एक विकसित करने तथा अंतराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय भागीदारी प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करती हैं। कारण यह है कि उनके समग्र दुनिया के नागरिकों के प्रश्न होते हैं। एकता साधकर नए विश्व का निर्माण करने के उनके प्रयोग परिवर्तन लाने के लिए होते हैं तथा वैश्विक कार्य सूची में उनका समावेश हो, उसके लिए 'मंच' प्रोत्साहन देता हैं।

अधिक जानकारी के लिए निम्न पते पर सम्पर्क करें: 'गुजरात सोशियल फोरम', पोस्ट बॉक्स- ४०८८, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-३८०००९, फोनः ०७९- ७९१०६५४, फैक्सः ०७९-७९१११८१, ईमेलः gujsofo@yahoo.com

अवरोध-मुक्त वातावरणः विकलांगों के सामाजिक समावेश की समस्या

विकलांग लोगों के सामाजिक समावेश हेतु नागरिक समाज की भागीदारी का प्रयास 'उन्नति' और 'हैंडिकेप इंटरनेशनल' द्वारा गुजरात की अनेक सहभागी संस्थाओं के सहयोग में किया जा रहा है। इसकी मुख्य व्यूहरचना में क्षमता वृद्धि, साधन-सामग्री का विकास और वितरण, नेटवर्किंग, भागीदारी का निर्माण और हिमायत का समावेश है। इस प्रयास में विकलांगों के सामाजिक समावेश का एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न 'पहुँच' ज्ञात हुआ है। २००३ के आरंभ में इस मुद्दे पर काम करने के प्रयत्न हुए हैं। यह लेख **सुश्री गीता शर्मा, सुश्री अर्चना श्रीवास्तव** और **श्री अरिंदम मित्रा** के द्वारा लिखा गया है और इसमें विगत ११ महीनों के अनुभव व्यक्त किये गए हैं।

प्रस्तावना

'विकलांगता ऐसी कोई चीज नहीं कि जिसके बारे में आप सोचते हैं, पर यह एक ऐसा विषय है जो अपनी जीवन शैली के लिए ही दुनिया का निर्माण करने वाले कुछ लोगों के द्वारा अवरोध खड़े करता है।' अब आज ज्यादा से ज्यादा ऐसा माना जा रहा है कि अपनी भौतिक चीजों की डिजाइन में ही अवरोध हैं और हम टैक्नोलोजी व सूचना की व्यवस्था जिस तरह गढ़ रहे हैं, उसी में विविध अवरोध विद्यमान हैं। यहां भौतिक अवरोधों के बारे में बात कही गई है और विकलांग आसानी से सुरक्षित ढंग से चल-फिर सकें, ऐसी पहुंच वाला वातावरण निर्मित करने के बारे में चर्चा की गई है।

सामान्यतया लोग मानते हैं कि उनसे नितांत विपरीत, अवरोध-मुक्त वातावरण विकलांग लोगों के अतिरिक्त भी समाज के अनेक लोगों के लिए लाभदायी होता है। विशेष रूप से जिनको कामचलाऊ ढंग से सहारे की जरूरत पड़ती है, ऐसे वृद्धों, सगर्भा स्त्रियों, बालकों और अस्थाई अपंगता वाले लोगों को ऐसे अवरोध-मुक्त वातावरण का लाभ मिलता है। इन तमाम लोगों में विकलांगों को सबसे ज्यादा सहन करना पड़ता है, क्योंकि डिजाइन बनाने वाले अवरोध-मुक्त वातावरण संबंधी उनकी जरूरतें जानने समझने के लिए उनको बहुत कम अवसर प्रदान करते हैं। विकलांगों के लिए भौतिक अवरोध कई महत्त्वपूर्ण परिबलों में से एक ऐसा परिबल है कि जो समाज से उनके निष्कासन अथवा उनको अलग करने की तरफ ले जाता है। उनके और समाज के बीच संवाद का अभाव होता है, जिससे उनकी सोई हुई शक्तियों को पहचाना नहीं जाता, उनकी जरूरतों और आकांक्षाओं को पहचाना नहीं जाता, जिससे उनके सामाजिक समावेश के अधिकार के बारे में बहुत कम संवेदनशीलता देखने में आती है।

दुनिया के अन्य भागों की तरह भारत में भी विकलांगों के पुनर्वास के लिए चिकित्सकीय एवं कल्याणपरक मॉडल के स्थान पर सामाजिक मॉडल पर ही बल दिया जा रहा है, और उसमें विकलांगों के सामाजिक समावेश को एक जरूरत के बजाय मानवाधिकार के रूप में देखा जाता है। विकलांगों के सामाजिक समावेश के लिए उनको समान अवसर प्रदान करना तथा सम्पूर्ण सहभागिता संबंधी अवसर उपलब्ध कराना अत्यंत महत्त्वपूर्ण बात है। अगर वातावरण अवरोध-मुक्त और पहुँच वाला नहीं होता तो विधायक भेदभाव उत्पन्न करने संबंधी उपाय वांछित परिणाम नहीं दे सकेंगे।

विकलांगों की पहुँच बढ़ाने को प्रोत्साहन देकर उनके सामाजिक समावेश हेतु भारत में लिये जाने वाले कदमों की हम सबसे पहले समीक्षा करेंगे। कानूनी मोर्चे पर तथा क्रियान्वयन के मामले में जो कुछेक प्रयास किये गये हैं, वे निम्नानुसार हैं:

१. विकलांग व्यक्ति अधिनियम (समान अवसर, अधिकारों की रक्षा तथा पूर्ण सहभागिता) १९९५ में भारतीय संसद ने पारित किया था। उसमें विकलांग व्यक्तियों के सामाजिक समावेश और समन्वय के दो प्रयोजन रहे हैं। उसमें विकलांग व्यक्तियों के लिए पहुँच-योग्य वातावरण निर्मित करने संबंधी महत्त्व, जरूरत और उपायों के बारे में विशेष उल्लेख किया गया है। विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा और रोजगार संबंधी आरक्षण की उसमें व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, उसमें राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि मकानों व अन्य स्थलों पर विकलांगों की पहुँच बढ़ाने हेतु आवश्यक व्यवस्था करे। अधिनियम के आठवें प्रकरण के नियम ४४ से ४६ में विकलांग व्यक्तियों के लिए परिवहन सुविधाओं, सड़कों, फुटपाथों और मकानों में भेदभाव न रहे, इसके लिए सार्थक कदम उठाने पर बल दिया गया है।
२. 'एस्केप' द्वारा एशिया-प्रशान्त क्षेत्र के लिए विकलांगों के लिए १९९३-२००२ के दशक की घोषणा पर भारत ने हस्ताक्षर किये थे। इससे अवरोध-मुक्त वातावरण उत्पन्न करने में प्रोत्साहन देने तथा प्रतिबद्धता उत्पन्न करने में सहायता मिली है।
३. केंद्र स्तर पर तथा कई राज्यों में कई परियोजनाएं शुरू की गई हैं और ऐसे प्रयास कये गए हैं कि जिनसे ऐसे अवरोध-मुक्त वातावरण के लाभ दर्शाए जा सके हैं।
४. केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्देश तैयार किये गए हैं। उसमें अवरोध-मुक्त वातावरण निर्मित करने संबंधी निर्माण के बारे में विवरण तैयार किये गये हैं। 'राष्ट्रीय निर्माण कार्य संहिता' (नेशनल बिल्डिंग कोड) भी इस प्रकार की व्यवस्थाएं देती हैं।
५. निर्माण-कार्य संबंधी उप-नियम विविध शहरों में लागू हुये हैं। कुछ राज्यों ने केंद्र के शहरी विकास मंत्रालय ने जो ऐसे नमूने रूपी उप-नियम तैयार किये हैं, उनका समावेश अपने उप-नियमों में किया है। उनमें अपंग व्यक्तियों को सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था है। हालांकि, उनका अभी निष्ठापूर्वक क्रियान्वयन नहीं हुआ।

यह उल्लेख आनंददायी है कि कम से कम 'विकलांगों' की पहुंच एक जरूरत के रूप में पहचानी जा रही है और इसे मान्यता दी गई है। अब क्या करने की जरूरत है और वह कैसे संभव है, इस वाक्य में सूचना प्राप्त है। साथ ही, कई अनुभव बताते हैं कि खर्च, विकलांगों के लिए ही लाभदायी कतिपय डिजाइनों आदि के बारे में जो भ्रम व्याप्त था, वह गलत है। स्थानीय अनुभवों और दुनिया भर के डिजाइनरों के अनुभवों के आधार पर निम्न प्रकार की कई बातें सीखने को मिलती हैं:

१. निर्माण कार्य की डिजाइन ऐसी होनी चाहिए कि जो सामान्य व्यक्तियों और विकलांग व्यक्तियों दोनों के लिए उपयोगी हो। डिजाइन इन दोनों में से किसी एक के लिए नहीं होनी चाहिए। वह सभी के लिये होनी चाहिए।
२. विकलांगों का सामाजिक समावेश करने वाली डिजाइन या स्थाई विकलांगों को अन्या लोगों के साथ एक करने वाली हो, उनको अलग करने वाली न हो। उसके मापदंड हैं: सुविधा, सुरक्षा और जो वहनीय हो वैसी।
३. जिसमें सब पहुंच सकें, ऐसे वातावरण में तमाम व्यक्ति मान-सम्मान, गौरव और सुख के साथ स्वतंत्र रूप से जी सकते हैं और काम कर सकते हैं। इससे अवरोधों वाला वातावरण दूर जो जाता है, जो 'क्षमता' ओर 'अक्षमता' के बीच कृत्रिम भेद निर्मित करता है।
४. विकलांगों के लिए जिस वातावरण की जरूरत होती है उनमें से अधिकांश लक्षण कुछ अलग और संवेदनशील होते हैं। विशेष रूप से आयोजन के स्तर पर यदि इसका समावेश किया जाए तो नहीं ऐसा लगेगा कि इस तरह की व्यवस्था में ज्यादा व्यय लगता है।

जीवन में हम में से अधिकांश लोगों ने या किसी नज़दीकी संबंधी या मित्र के संदर्भ में कभी न कभी किसी स्थान पर पहुंच न सकने की समस्या का अनुभव तो किया ही होगा। इसके बावजूद डिजाइनर, स्थपति, आयोजक, नीति-निर्धारक, विद्वान या शोधकर्ता इस मुद्दे को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं देते। जिन लोगों को स्थायी तौर पर या

थोड़े समय के लिए अवरोधों का अनुभव करना पड़ता है, वे भी अपनी समस्याओं के बारे में पर्याप्त आवाज नहीं उठाते, ताकि इस समस्या को उचित प्राथमिकता मिले।

अभी तक की अधिकांश डिजाइनें विकलांगों की उपेक्षा करने वाली हैं तथा विकलांगों की पहुंच की जरूरत के प्रति उनमें ध्यान नहीं दिया गया, इस नाते भावी कार्य बहुत ही चुनौती भरा और प्रचंड है। उपर्युक्त संदर्भ में गुजरात में जो प्रयास किया गया, उसमें विविध स्तर पर जागृति लाने हेतु बहुपक्षीय व्यूहरचना का उपयोग करने और अवरोध-मुक्त वातावरण निर्मित करने हेतु सामूहिक कार्य करने का समावेश होता है। इसमें निम्न बातों का समावेश किया गया:

जागृति लाना

सार्वजनिक प्रसंग

यह प्रसंग अहमदाबाद के लॉ-गार्डन में २०-३-२००३ को आयोजित किया गया। इस बगीचे में असंख्य लोग बारंबार आया करते हैं। विकलांगता की विभिन्न समस्याओं पर काम करने वाले संगठनों, विकासपरक संगठनों, सरकारी-संस्थाओं, व्यवसायियों और संबंधित नागरिकों की यह एक बैठक थी। इसका उद्देश्य अवरोध-मुक्त

वातावरण उत्पन्न करने की जरूरत के बारे में जागरूकता लाना था। बैठक में लगभग २५० लोग उपस्थित थे। मुख्य धारा के स्थानीय अखबारों व टी.वी. के मार्फत लगभग एकाध लाख लोगों तक यह संदेश पहुँचा था।

मीडिया को संवेदनशील बनाना

'डेवलपमेंट मीडिया नेटवर्क' के सक्रिय सहयोग में विविध जिलों के मुद्रित व इलेक्ट्रोनिक माध्यमों के पत्रकारों के साथ विकलांगता और विकास के सवाल पर बातचीत की गई और विकलांग लोगों के मानवाधिकार तथा उनके सामाजिक समावेश की दृष्टि से पहुँच के प्रश्न पर संवाद हुआ। उसके परिणामस्वरूप विकलांगता भी विकास का एक महत्त्वपूर्ण और आसानी से हल न हो सकने जैसा सवाल है - ऐसा भाव दर्शाने वाले अनेक लेख विविध मासिकों व अखबारों में प्रकाशित हुए। साथ ही, विकलांगों के बारे में सकारात्मक छाप अंकित करने वाले और संस्थाओं की गतिविधियों प्रस्तुत करने वाले अनेक लेख प्रकाशित हुए।

भागीदारी का निर्माण

जागृति लाने की प्रक्रिया में ही तमाम हित-धारकों का एक समूह हो, ऐसी जरूरत महसूस की गई। साथ ही, विविध समूह अवरोध-मुक्त वातावरण निर्मित करने के लिए अपनी भूमिका समझें, उस बारे में चिंतन-मनन करें और व्यूह रचना तैयार करें, ऐसी जरूरत भी महसूस की गई। जुलाई-२००३ में 'रिसोर्स ग्रुप ऑन एक्सेसिबिलिटी' के सक्रिय सहयोग में अनेक छोटी-छोटी कार्यशालाएँ आयोजित

की गईं। सेवा उद्योग, अकादमिक संस्थाओं, स्वय-सेवी संस्थाओं, मीडिया, स्थपतियों, आयोजकों व डिजाइनरों ने उनमें भाग लिया था। लगभग ४०० व्यक्तियों और समूहों ने उनमें भाग लिया और विकलांगों की जरूरतों में पहचाना, संभावित भावी व्यूह-रचनाओं के बारे में विचार किया तथा इस मुद्दे पर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। मीडिया ने भी उस सप्ताह में इस मुद्दे को प्रचारित-प्रकाशित किया तथा लगभग दो लाख लोगों तक इसका संदेश पहुँचाया। इसके बाद शोध व खोज-आधारित विवरण निरंतर प्रकाशित होते रहे हैं।

सामग्री की तैयारी और प्रचार-प्रसार

जागृति व संवेदनशीलता उत्पन्न कने की प्रक्रिया के दौरान सामग्री की तुलना, विकास व प्रचार-प्रसार की जरूरत ध्यान में आई। सारी सामग्री एक साथ रखे जाने से विभिन्न समूहों और व्यक्तियों तक पहुँचने के अवसर बढ़। विकलांग लोग सभी स्थानों पर पहुंच सकें, इस तरह की व्यवस्थाएँ व सामग्री कितनी है और उनकी क्या सीमाएं हैं, इस संबंध में समूहों में जागरूकता बढ़ी। इसके अलावा, प्रयासों और व्यूह रचना के बारे में जानकारी, रुचिशील व्यक्तियों और समूहों की पहचान, समान ध्येय के लिए संबंध बनाने तथा

एकता उत्पन्न करने आदि के अवसर भी बढ़े। निर्माण कार्य के उपनियम, मार्गदर्शक, दृश्य-श्रव्य साधन, लेख और पठनीय साहित्य आदि भी इस प्रक्रिया के भाग रूप एकत्रित किये गए। वाचन-समग्री तैयार की गई जिससे दृष्टिकोण और व्यापक बना, सजगता बढ़ी और साथ के समूह की ही नहीं वरन् दूसरे बहुतों की संवेदनशीलता में वृद्धि हुई। फोटो प्रदर्शनी लगाई गई तथा जागरूकता के लिए परिपत्र व विवरण तैयार किया गया। जो सामग्री व साहित्य तैयार कराया गया व अत्यंत समृद्ध हुआ और प्रचार-प्रसार के लिए तथा नये लोगों तक पहुँचने के लिए एक साधन के तौर पर उसका उपयोग किया गया।

नेटवर्किंग, संबंध और संसाधनों के भंडार का निर्माण

व्यक्तियों और संगठनों के बीच संबंध बनाने और नेटवर्किंग तैयार करने तथा उसके उद्देश्यों को हासिल करने के लिए सूचनाओं का आदान-प्रदान तथा व्यूहात्मक विचारणा पूर्व शर्त है। विविध व्यवसायों के विविध शुभचिंतक एक संसाधन भंडार बनाने के लिए एकत्र हुए हैं। शहर में व जिले स्तर पर विकलांगों के लिए पहुँच निर्मित करने हेतु यह संसाधन भंडार स्थापित किया गया है। गैर-सरकारी संगठनों व विकलांगों के साथ सहयोग साधने के लिए विविध चर्चाओं के दौरान स्थपतियों और डिजाइनरों की समूह हेतु जरूरत बताई गई थी। उसके परिणामस्वरूप ही इन समूहों का गठन हुआ। ऐसा इसलिए किया गया कि उपयोग में लाने वाला अपना दृष्टिकोण बताये और साथ ही साथ समाज में जागरूकता भी आए।

इस संसाधन भंडार को जरूरत आधारित सामग्री विकसित करने हेतु तथा उसकी व्यूह रचना गढ़ने का काम करना है। वह तकनीकी प्रशिक्षण के द्वारा क्षमता निर्माण भी करता है, सूचना और बैंक स्थापित करता है, हैल्प लाइन चलाता है और नीति विषयक परिवर्तन के लिए हिमायत भी करता है। यह समूह स्थापित होता जाता है। वह अधीर है और बारबार मिलता है। वह विविध हितैषियों की भूमिका तय करता है, व्यूहात्मक आयोजन करता है, उत्तरदायित्व विभाजित करता है और अनुवर्ती कार्य भी करता है।

हिमायत

किसी एक प्रश्न पर हिमायत (एडवोकेसी) करना एक सतत चलती रहने वाली प्रक्रिया है और उसमें अनेक व्यूह रचनाओं का उपयोग होता है। विकलांगता के सवाल पर हिमायत करने के लिए जो विविध प्रयास किये गए उनका ब्यौरा यहां दिया गया है। इससे संबंधित व्यूह रचनाएं निम्नानुसार हैं:

१. मीडिया में हिमायत

विविध कार्यक्रमों एवं प्रसंगों द्वारा लोगों तक पहुँचना और पूरे प्रश्न को बराबर सजीव रखना।

२. पहुंच का अन्वेषण

विगत तीन माह के दौरान पहुँच का अन्वेषण कराया गया, विवरण तैयार कराया गया और निदर्शन कराया गया। इन सबके सकारात्मक परिणाम आए। यह दर्शाया गया कि आफिस, मकान, सार्वजनिक स्थान आदि में थोड़े से सुधार किये जाए तो विकलांगों के लिए अनुकूल हो जाएं। साथ ही, नए मकानों व सार्वजनिक स्थलों पर तो इस बारे में ध्यान दिया जाए, इसका भी निदर्शन किया गया। इसके नमूने भी तैयार किए गए। संबंधित सरकारी अधिकारियों और सभ्य समाज के सामने यही विवरण हिमायत के साधन के

रूप में प्रस्तुत किये गए। इसके लिए शहर में दो कि.मी. की त्रिज्या के क्षेत्र में सबसे ज्यादा दृश्यमान और सबसे ज्यादा उपयोगी क्षेत्र का चयन किया जाएगा और उनमें अन्वेषण का काम हाथ में लिया जाएगा और उपयोग में लेने वालों तथा डिजाइनर समूह को वे सुधार दिखाये जाएंगे।

(३) अन्य

लॉबिंग के लिए और नीतियों में बदलाव हो व प्रभावी अमल हो, इसके लिए निर्माण के उप-नियमों, तकनीकी सामग्री और १९९५ के कानून का उपयोग किया जा रहा है।

उपसंहार

इस समग्र प्रक्रिया के दौरान ठोस व निश्चित कदम उठाये गए हैं और उनमें बहुत उत्तेजना व आनंद रहा है। विविध लोगों की तरफ से जो प्रतिक्रिया मिली है, वह बहुत प्रोत्साहनकारी रही है और उससे क्या करने की जरूरत है, इसका मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ है। संदेश का प्रचार करना मुश्किल नहीं। अधिक महत्त्व इस बात का है कि कौन उसका प्रचार-प्रसार करता है और कैसे करता है। सकारात्मक सोच एवं कार्यों के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रोत्साहन दिया गया है। भविष्य की चिंताजनक बातों के बारे में विचारने की जरूरत भी समूह को समझाई है और उसके बारे में सोचने का प्रयत्न भी उसने किया है। इनमें से कुछेक प्रश्न तो इससे संबंधित ही थे कि यह समूह स्थायी बने। उसमें संवादिता बनी रहे, मान-आदर बना रहे, साफ वित्तीय मदद मिले, इत्यादि बातों पर उसमें चर्चा की गई। आगामी दिनों में जहां कार्यवाही अभी चालू है, वहां काम मजबूत बने और सघन बने, इसके लिए अधिक प्रयास किए जायेंगे। उसमें मुख्य बात यह ध्यान में रखी जाएगी कि गौरव से युक्त जीवन जीने के समान अवसर सब को मिलें, सब सहभागी हों और ऐसा वातावरण उत्पन्न हो कि सबको मूलभूत अधिकार मिलें।

पृष्ठ 15 का शेष भाग

८.५ औपचारिक स्वैच्छिक संगठन अर्थात् ऊपर बताये गये विविध नियमों के अधीन पंजीकृत संगठन नियमों में उल्लिखित हिसाबी स्तरों का पालन करें, ऐसी अपेक्षा है। अधिकांश मामलों में पारदर्शिता की दृष्टि से देखें तो ये स्तर अपर्याप्त हैं और इनका पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा तथा स्वैच्छिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श करने उनमें वांछित संशोधन कराया जाएगा।

८.६ स्वैच्छिक संगठनों के अन्य सभी स्वरूपों के मामले में उचित हिसाबी स्तर विकसित करने पड़ेंगे जो पर्याप्त हों और अधिक मांगें करने वाले न हों। ऐसे हिसाब सरकार व अन्य सार्वजनिक संगठनों को स्वीकार्य हों, इसके लिए ध्यान रखा जाना चाहिए। सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, भारतीय नियंत्रक महालेखा परीक्षक (कैग) और स्वैच्छिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श करके नमूने रूपे हिसाबी स्तर विकसित करने के प्रयत्न करेगी।

८.७ शासन के तथा हिसाबी स्तर स्वीकार करने हेतु छोटे और अल्प संसाधनों वाले स्वैच्छिक संगठनों की मदद करने की व्यवस्था की जाएगी।

८.८ नेटवर्क्स अथवा स्वैच्छिक संगठनों के महामंडल सदस्य पद हेतु स्वैच्छिक संगठनों की गहन जांच व मान्यता के बारे में स्वयमेव अपनी पद्धति विकसित करें, ऐसी अपेक्षा है। उचित रूप से काम न करने वाले या स्वैच्छिक क्षेत्र पर बट्टा लगाने वाले स्वैच्छिक संगठनों पर वे देखरेख रखें और उन्हें अनुशासन बद्ध करें, ऐसी अपेक्षा है।

यह 'राष्ट्रीय स्वैच्छिक क्षेत्र नीति-२००३' राष्ट्र के आर्थिक व सामाजिक विकास में सरकार और स्वैच्छिक क्षेत्र के बीच नूतन संयुक्त रूप से प्राप्त वस्तुओं और आने वाली समस्याओं के संदर्भ में इस नीति की समय-समय पर समीक्षा करेगी।

गतिविधियां

जैव पंचायत अधिवेशन

'नवदान्य' एवं 'रिसर्च फाउन्डेशन फॉर साइंस, टैक्नोलोजी एन्ड ईकोलोजी द्वारा १७-१८ नवंबर २००३ के मध्य इस अधिवेशन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। 'जैव पंचायत' ५वीं जून, १९९९ को विश्व पर्यावरण दिवस से शुरू हुई थी। उसका शुभारंभ गढ़वाल क्षेत्र के रुद्रपयाग जिले में अगस्त्य मुनि गाँव से हुआ था। उस समय इसमें २०० गाँव जुड़े थे। आज देश भर के ४००० गाँव इस आंदोलन में जुड़े गये हैं। जल, भूमि व अन्न संबंधी समस्याओं के संदर्भ में यह आंदोलन काम करता हैं। जहाँ- जहाँ 'जैव पंचायत' का आंदोलन चलता हैं, वहाँ- वहाँ जल के निजीकरण, जैव अभियांत्रिकी वाली फसलों की बुवाई, जैव चोरी व बौध्दिक सम्पदा अधिकारों की व्यवस्था का क्रियान्वयन लगभग असंभव हो गया है। लोगों के जीवन जीने व जीवन- निर्वाह के अधिकार की रक्षा का काम 'जैव पंचायत' के द्वारा होता हैं।

'जैव पंचायत' अधिवेशन ग्राम स्तर पर होने वाले आंदोलनों की समीक्षा करने तथा उनके बीच परस्पर एकता स्थापित करने हेतु आमंत्रित किया गया था। 'जैव पंचायत' प्रवृत्तियों को सुदृढ़ बनाने की कार्यरचना भी इसमें तय की गई थी। इसमें भारत सरकार की नदियों को जोड़ने की जो योजना है उसके बारे में भी चर्चा हुई थी। 'जैव पंचायत' वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना पर आधारित है। यह मानती है कि मनुष्य सजीव- सप्राण विश्व के अंग हैं, इससे परे नहीं। अतः हमारी उत्पादन व उपभोग के तरीके, टैक्नोलोजी व व्यापार की व्यवस्था, कानून व नीतियाँ ऐसी होनी चाहिए कि जिनसे न्याय, चिरंतनता और शांति उत्पन्न हो। संसाधनों के संचालन व उपयोग का निर्णय समुदाय ले, ताकि पंचायत द्वारा समुदाय का अस्तित्व सुनिश्चित बने- यह इसका उद्देश्य हैं। संसाधनों की रक्षा और अधिकारों पर होने वाले आक्रमणों का प्रतिकार करने के लिए 'जैव पंचायत काम करती हैं।' 'जैव पंचायत' के मुताबिक समुदायों ने बीज बैंकों की स्थापना की हैं और रसायन मुक्त खेती की शुरूआत की है। उड़ीसा में जैव पंचायतें पानी के निजीकरण के विरुद्ध संघर्ष कर रही हैं। 'उड़ीसा लिफ्ट इरिगेशन कार्पोरेशन' का निजीकरण करके सिंचाई के पानी का निजीकरण किया गया है। जिसके खिलाफ़ संघर्ष किया जा रहा है।

अधिक विवरण के लिए सम्पर्क करें: 'नवदान्य', ए-६०, हौज खास, नई दिल्ली- ११००१६. फोनः ०११-२६५६१८६८, २६९६८०७७ फेक्सः ०११- २६५६२०९३, २६८५६७९५, ईमेलः rfste@vsnl.com

संकल्प सभा और यात्रा

गुजरात के सौराष्ट्र एवं कच्छ क्षेत्र की स्वैच्छिक संस्थाओं ने महिलाओं पर होने वाली हिंसा के विरुद्ध अभियान शुरू किया है और इसके अंतर्गत १०वीं दिसंबर २००३ को मानव अधिकार दिवस पर बड़ौदा में नर्मदा भवन से न्याय मंदिर तक की एक संकल्प यात्रा आयोजित की गई थी। उस रोज शाम ४.३० से ६.१५ के बीच इस यात्रा आयोजन किया गया था। नर्मदा भवन पर सभी एकत्र हुए थे तथा नारे लगाये गये थे। वहाँ महिलाओं के प्रति हिंसा के विरुद्ध चलाए जाने वाले अभियान के बारे में भी चर्चा की गई थी और अभियान की कार्यवाही के विषय में विचार व्यक्त किए गए थे। बाद में मौन रैली शुरू हुई थी। रैली दांडिया बाजार, फायर ब्रिगेड, सूरसागर इलाकों में घूम कर न्याय मंदिर पहुँची थी। यात्रा में भाग लेने वालों ने अपने हाथों में पोस्टर्स व प्लेकार्ड्स ले रखे थे। अंत में न्याय मंदिर पर मानव -श्रृखला जोड़ी गई थी। प्रत्येक संस्था के द्वारा कार्यवाही की प्रस्तुति की गई थी, लोगों में पैम्फलेट वितरित किये गये थे और उनके द्वारा शपथ ली गई थी। पहले २५ नवंबर से १० दिसंबर २००३ तक भावनगर, सुरेन्द्रनगर, अमरेली, राजकोट व कच्छ जिलों में लगभग २०० गाँवों में यह अभियान चलाया गया था। उसमें लगभग १५००० स्त्री- पुरुषों ने भाग लिया था। अभियान में 'स्वाति' 'उत्थान' शिक्षा एवं समाज कल्याण केन्द्र, महिला सामख्य सोसायटी, कच्छ महिला विकास संगठन, नवज्योत महिला विकास संगठन, 'आनंदी' आदि संस्थाओं की

सक्रिय भूमिका रही थी। प्रत्येक गाँव में अनेक लोगों ने स्त्रियों के प्रति हिंसा सहन न करने की प्रतिज्ञा ली थी, तथा ४००० पुरुषों ने इससे संबंधित एक प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर भी लिये थे। यह संकल्प-यात्रा जब लगभग २०० गाँवों में घूमी, तो इसे बहुत अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई थी। १०वीं दिसंबर, २००३ को आयोजित इस सभा में 'नया मार्ग' के तंत्री श्री इन्दुकुमार जानी, गाँधीवादी कार्यकर्त्री सुश्री दक्षा पटणी और 'उत्थान' की श्री नफीसा बारोट आदि ने अपने विचार प्रकट किये थे। विख्यात कथा वाचक श्री मुरारीबापू का १५ मिनट का वीडियो संदेश भी इस सभा में सुनाया गया था। विस्तृत विवरण हेतु सम्पर्क करेः सुश्री पूनम कथुरिया, ईमेलः pswati@satyam.com फोनः ९८२५०८४६०१.

मजदूर - किसान किराना स्टोर

'मजदूर - किसान शक्ति संगठन' (एम.के.एस.एस.) द्वारा राजस्थान में 'मजदूर - किसान किराना स्टोर' चलाया जा रहा है। मध्य राजस्थान में सन् १९९१ से ऐसी पाँच दुकानें चलाई जा रही हैं। ऐसी पहली दुकान भीम में खोली गई थी और बाद में जवाजा, सूरजपुरा और तोडगढ़ में खोली गई थी। इन दुकानों का मकसद यह दिखाना है कि किसान और मजदूर संगठित होकर व्यापार संबंधी आर्थिक प्रवृत्तियां कर सकते हैं। नयी आर्थिक नीति में ऐसा समझा जा रहा है कि तमाम आर्थिक बीमारियों का उपाय मुक्त बाजार है। अतः इन दुकानों के द्वारा इस मुक्त बाजार को समझने का प्रयत्न किया जा रहा है। गरीबों के लाभ के लिए बाजार का उपयोग किस तरह किया जा सकता है, यह बात इस स्टोर द्वारा समझी गई है। विगत १० वर्षों में अनेक चुनौतियों के बावजूद ये दुकानें बाजाार में अपना स्थान जमाने में सफल हुई हैं। गुड़, खांड, तेल आदि के भाव नीचे लाने में तथा स्थानीय व्यापारियों की दुर्नीतियों पर स्वतः अंकुश लगाने में ये दुकानें सफल रही हैं। इन दुकानों में स्थायी खर्च के अनुसार वाजिब भाव लिये जाते हैं। संगठन के कई कार्यकर्ता ये दुकानें चलाते हैं और उन्हें मानद वेतन का भुगतान किया जाता है। आरंभ में स्थानीय हितधारकों ने इन दुकानों का जबर्दस्त विरोध किया था। इसके बाबजूद इन दुकानों ने भारी दबाव के बीच भी सफलता प्राप्त की है। कार्यकर्ताओं ने इसके लिए लोगों में जागरूकता पैदा की तथा किसानों ने दुकानें चलाने के लिए आरंभ में ब्याजमुक्त ऋण दिया। दुकानों ने दो वर्षों के अपने वचन के मुताबिक ऋण वापस लौटा दिया। दैनिक आवश्यकता की वस्तुएँ बेचने के कारण इन दुकानों की वजह से लोगों पर संगठन की पकड़ मजबूत हुई। इन दुकानों में परंपरागत ऊर्जा का खर्च बहुत अधिक है, अतः सभी दुकानों में सौर विद्युत पैनल लगाना तय किया गया और ६३००० रु. के खर्च से ये पैनल लगा दिये गए हैं। इसके लिए अल्पकालिक ऋण प्राप्त हुआ है। संगठन ने इसके लिए दान देने की अपील प्रसारित की है। अधिक विवरण हेतु सम्पर्क करें: 'मजदूर-किसान शक्ति संगठन', ग्रामः देव डुंगरी, पोस्टः बराट, जिलाः राजसमंद; राजस्थान-३१३३४१. फोनः ०२६५१-२४३२५४, २५०६५५ फैक्सः ०१४६३-२८८२०६.

सामाजिक धिक्कार रैली तथा सभा

राजस्थान के जोधपुर जिले की शेरगढ़ तहसील के सिहांदा गाँव के सुखराम भील की पत्नी श्रीमती चैन देवी पर बलात्कार के प्रयास के विरोध में दिनांक १३-११-२००३ को इस रैली और सभा का आयोजन किया गया था। चैन देवी और सुखराम के परिवार में दो पुत्र और दो पुत्रियां हैं। पति दमे से ग्रसित है। परिवार का समग्र

भार चैन देवी पर है। वे साग बेच कर गुजारा चलाती हैं। चैन देवी पिछले दो वर्षों से 'दलित महिला मंच' से सम्बद्ध हैं। दिनांक ८-७-२००३ के दिन प्रातः पांच बजे जब वे अपने घर में सो रही थीं, तब उसी गांव के शंकरदान चारण द्वारा उन पर बलात्कार का प्रयास किया गया था। चैन देवी ने शोर मचाया तो उनके पति जाग गये। वे बाहर सो रहे थे, वहां से फौरन अंदर गए, तब तक शंकरदान भाग गया। शंकरदान गांव का ऐयाश व आवारा आदमी है, और उसने पूरे गाँव को हैरान-परेशान कर रखा है। शेरगढ़ के पुलिस स्टेशन पर उसी दिन फौरन शिकायत की गई और चैन देवी 'दलित अधिकार अभियान' कार्यालय पर पहुँची। वहां उन्होंने अभियान की कार्यकर्त्री प्रेमलता से सारी बात कही। बाद में मंच की महिलाओं की एक बैठक आमंत्रित की गई और तय किया गया कि आरोपी को सजा मिले व न्याय मिले, इसके लिए कार्यवाही की जाए। नौ दिन बीत जाने पर भी पुलिस छानबीन करने नहीं गई, तब एस.पी. (ग्रामीण) से मिलकर न्याय की मांग की गई। फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई तो जोधपुर जाकर पुलिस अधिकारियों से शिकायत की गई। तब भी कोई नतीजा नहीं निकला। बाद में अगस्त २००३ को कलैक्टर कार्यालय के समक्ष अनशन किया गया। बाद में कलैक्टर ने एक समिति गठित कर दी कि जिसके द्वारा तीन दिनों के अंदर रिपोर्ट दी जानी थी। इस बीच उच्च न्यायालय ने आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी। तब आरोपी शंकरदान चारण को सामाजिक रूप से अपमानित करना तय किया गया। यह कार्यक्रम १३-११-२००३ को रखा गया।

इस दिन पश्चिमी राजस्थान में काम करने वाले 'दलित अधिकार अभियान' के लोग शेरगढ़ में 'दलित संदर्भ-सूचना केंद्र' पर इकट्ठे हुए और शेरगढ़ के स्थानीय लोग भी इकट्ठे हुए। लगभग २०० लोगों ने वहां से शेरगढ़ पुलिस केंद्र तक हाथों में झंडे व नारे लेकर रैली निकाली। वहां से वे वाहनों में बैठकर सिहांदा गांव गए। गाँव में स्थानीय ४०० लोग पहले से ही इकट्ठे थे। वहां एक सभा आयोजित की गई। बाद में राष्ट्रपति के नाम लिखा एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार को सौंपा गया, जिसमें 'दलित अधिकार अभियान' के कार्यकर्ताओं के हस्ताक्षर थे। शंकरदान चारण के घर के आगे जाकर भी सबों ने नारे लगाये थे। इस कार्यक्रम में 'उन्नति', मरुधर गंगा सोसाइटी, ग्रामीण विकास संस्थान, आइडिया संस्थान, लोक कल्याण संस्था, 'प्रयास', ग्राम विकास संस्था और जय भीम शिक्षण संस्थान जैसी स्वैच्छिक संस्थाओं ने भाग लिया था।

विश्व विकलांगता दिवस का आयोजन

साबरकांठा में 'ग्राम विकास सेवा ट्रस्ट', अहमदाबाद में 'साथ', पाटण में भणसाली ट्रस्ट और बड़ौदा में महाराजा सयाजीराव युनिवर्सिटी के समाज-कार्य विभाग द्वारा दिनांक ३-१२-२००३ को विकलांगता दिवस मनाया गया था। इन सब ने 'सोलिडेरिटी बूथ' खड़े किए थे तथा 'ग्राम विकास सेवा ट्रस्ट' द्वारा एक रैली और सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था। तहसीलदार के कार्यालय, बस स्टेशन, रेलवे प्लेटफार्म व अन्य स्थानों पर स्टाल लगाये गये थे। उनमें विकलांगों के विषय में पैम्फलेट, भित्तिचित्र, परिपत्र व अन्य सूचनाएं रखी गई थी। उसका उद्देश्य जागरूकता फैलाना था ताकि सामान्य लोग विकलांगों के समाज में स्थान और उनके अधिकारों के बारे में जानें। नारों के द्वारा विकलांगों के सामाजिक समावेश पर बल दिया गया। इन स्टालों पर संकल्प-पत्र भी रखे गये थे। स्टाल पर आने वाले इनको पढ़कर इन पर हस्ताक्षर करते थे। विकलांगों के अधिकारों के विषय में काम करने हेतु साधारणतया लोक सहमत थे। भित्तिचित्रों द्वारा विकलांग व्यक्ति अधिनियम-१९९५ की व्यवस्थाएँ भी वहां दर्शाई गई थीं। ईडर में 'ग्राम विकास सेवा ट्रस्ट' के द्वारा महिला

आर्ट्स कॉलेज से एक रैली का आयोजन किया गया था। उसमें लगभग ६०० लोगों ने भाग लिया था। उसमें विकलांग लोगों और विविध संस्थाओं के प्रतिनिधि सम्मिलित थे। कमिश्नर कार्यालय पर रैली का आयोजन किया गया था। कमिश्नर कार्यालय पर रैली समाप्त हुई थी तथा कमिश्नर को एक अनुरोध-पत्र सौंपा गया था। उसमें मार्गों व सार्वजनिक स्थलों पर विकलांगों को चलने या चढ़ने-उतरने में तकलीफ न पड़े, ऐसी व्यवस्था बनाने, ४० प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले लोगों को ५०० रु. मासिक पेंशन देने, उन्हें स्वावलंबी बनने में मदद देने इत्यादि मांगें प्रस्तुत की गई थीं। पोलियो विरोधी टीके अभियान की तरह ही विकलांगता के बारे में जन-जागृति लाने की मांग की गई थी। रैली के अंत में एक सार्वजनिक सभा आयोजित की गई थी। उसमें कलैक्टर और ईडर तहसील पंचायत के प्रमुख आदि ने भाषण दिये थे। उन दोनों ने विकलांगों के अधिकारों के परिपालन के संदर्भ में सहयोग देने का विश्वास दिलाया था।

राजस्थान में घुमंतू जातियों का पुनर्वास

राजस्थान में अरावली क्षेत्र की जिन घुमंतू जाति के लोगों को अंग्रेजों ने अपराधी जाति का बताया था, ऐसे लगभग ४५,००० लोगों का पुनर्वास करने में वकील श्री रतन कात्यायनी सफल रहे हैं। तेरह वर्षों के प्रयासों के बाद इन घुमंतू जाति के लिए उन्हें समान अवसरों वाला समाज स्थापित करने में सफलता मिली है। इस कार्य के लिए उन्हें वर्ष २००३ का 'शारदा समान अवसर पारितोषिक' प्रदान किया गया है। महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने उन्हें यह पारितोषिक दिया था। भारत के संविधान में भी घुमंतू जातियों के अस्तित्व को मान्यता नहीं दी गई, ऐसी जानकारी मिलने के बाद उन्होंने इन जातियों को स्थायी रूप से बसाने के लिए प्रयत्न शुरू किये थे। उनके अनुसार देश में लगभग ४.५ करोड़ लोग और २०० समुदाय घुमंतू जातियों के हैं और वे भारत में अस्तित्व ही नही रखते, क्योंकि भारत के संविधान के निर्माण के समय उनका कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं था। सन् १८७१ में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा घुमंतू जातियों को आदनतन गुनहगार माना गया था। इसका एक कारण यह था कि स्वतंत्रता के आरंभिक संग्राम में ये जातियां बहुत सक्रिय थीं। पर स्वतंत्रता के बाद ये जातियां वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकीं, यह एक दुर्भाग्य की बात है। अधिक दुःखद बात तो यह है कि सन् १९५१ में जब ब्रिटिश कानूनों की समीक्षा की गई थी तब भारत सरकार ने भी 'हैबिच्युल ऑफेंडर्स एक्ट' में कोई सुधार नहीं किया था। असंख्य आदिवासी समुदायों का भारतीय राज्य में समावेश नहीं किया गया और इस प्रकार संविधान के रचनाकारों ने ही उनके मानवाधिकारों को भंग कर दिया, ऐसा कात्यायनी कहते हैं। विकास ने उन्हें छुआ नहीं और कोई राजनीतिक पक्ष उन पर ध्यान नहीं देता क्योंकि वे वोट-बैंक के भाग नहीं हैं।

अविवादित सरकारी जमीन पर इन घुमंतू जातियों को स्थायी रूप से बसाने का प्रयास उन्होंने किया है। वे ऐसा कहते हैं कि 'जो जमीन सरकारी है, वह हमारी है'। अतएव सत्ताधिकारियों को इस आदिवासी घुमंतू जाति के अधिकारों को स्वीकार करने का दायित्व आ पड़ा है। श्री कात्यायनी अब उनके लिए राशन कार्ड और मताधिकार की मांग कर रहे हैं। उन्हें अन्न, वस्त्र एवं शिक्षण के मूलभूत अधिकार मिलें, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। लगभग २००० आदिवासियों का गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले लोगों की सूची में समावेश किया गया है। समाज का रुझान भी अब इस घुमंतू जाति के प्रति बदला है। अरावली क्षेत्र में लगभग पाँच गांवों में इन जातियों के लोग सरपंच भी बने हैं।

आपदा का सामना करने की तैयारीः अग्नि सुरक्षा

दो वर्ष पूर्व गुजरात में भूकंप आया था, उस सन्दर्भ में आई.सी.ई.टी. द्वारा अमहादाबाद नगर में आपदा का सामना करने की तैयारी तथा आपदा संचालन संबंधी परियोजनाएं हाथ में लेना तय हुआ था। उसमें तकनीकी प्रशिक्षण, संसाधन पूरे जुटाने व जनजागरण के कार्यक्रमों का समावेश है। 'उन्नति' ने अपनी प्रायोगिक परियोजना में लोक जागृति कार्यक्रम हाथ में लिया है। इस कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा संबंधी लोक जागृति उत्पन्न करने का कार्यक्रम सम्मिलित है। इसमें इस प्रकार की प्रक्रिया हाथ में ली गई थीः (१) सहभागी संगठनों के साथ बैठकें आयोजित की गईं और उनमें अग्नि-सुरक्षा के मुद्दे को प्राथमिकता देना तय किया गया। इसके लिए सामग्री तैयार करने का विचार भी किया गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि आग के खतरे का सामना करने की तैयारी हेतु लोगों में जागृति उत्पन्न करनी जरूरी है। तय किया गया कि नागरिकों, स्कूली छात्रों तथा

प्रशासनिक तंत्र को आग के खतरे का सामना करने के लिए जाग्रत किया जाए। (२) इसके लिए अहमदाबाद फायर ब्रिगेड के साथ प्रवृत्तियां आयोजित करना भी तय रहा। (३) शैक्षणिक संस्थाओं से सम्पर्क किया गया। विद्यालयों की सूची बनाई गई और उन्हें प्रदर्शन के बारे में निमंत्रण दिया गया तथा कार्यक्रम का ब्यौरा दिया गया। (४) इमरजेंसी नंबर के लिए स्टिकर्स, कोमिक बुक और एक पोस्टर तैयार करवाया, जिसे विद्यालयों में वितरित किया गया। (५) रेडियो मिर्ची, स्थानीय केबल टीवी आदि से सम्पर्क किया गया ताकि दिवाली के दौरान सुरक्षा संदेश पहुँचाया जा सके। (६) आग से सुरक्षा के बारे में छह प्रदर्शन किये गए। उनमें २१ शालाओं के १८०० बालकों ने भाग लिया। (७) दिवाली में आग से सुरक्षा करने के लिए ५५ सैकंड की संगीतमय जिंगल और एनिमेटेड वीडियो तैयार करवाई। अलग-अलग समय पर तीन दिनों तक स्थानीय रेडियो पर जिंगल प्रस्तुत की गई। पांच दिनों तक सिनेमा घरों में शो से पूर्व एनिमेटेड मैसेज क्लिप दिखाई गई। विविध समूहों को ईमेल के द्वारा संदेश दिया गया। गुजरात में दीपावली के सप्ताह के दौरान १५ थियेटरों में स्लाईड-शो भी दिखाया गया। इसके परिणामस्वरूप शाला के बालकों में आग लगने पर रोकने के लिए उठाये जाने वाले कदमों एवं सुरक्षा के बारे में जागृति आई। उन्होंने यह भी जाना कि आग लगने पर होने वाले जान माल के बड़े नुकसान को कैसे रोका जाए। अहमदाबाद फायर ब्रिगेड के साथ कई बैठकें करके और ज्यादा प्रदर्शन किये जाएंगे। स्टिकर्स व कोमिक बुक और अधिक शालाओं तक पहुँचाई जाएगी। औद्योगिक इलाकों में भी आग से बचाव के उपाय हाथ में लिये जाएंगे। इस सम्बन्ध में अहमदाबाद के एक गैर-सरकारी संगठन सी.ई.ई. से सहयोग प्राप्त किया जाएगा।

पंचायतों में कमजोर वर्गों की भागीदारी के विषय में सम्मेलन

बनासकांठा जिला दलित संगठन पालनपुर, बिहेवियेरल साइंस सेन्टर अहमदाबाद, सामाजिक न्याया मंच, साबरकांठा और 'उन्नति' के संयुक्तत्वावधान में ४ व ५ नवंबर २००३ को पालनपुर में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। सम्मेलन में पचायतों की शासन-व्यवस्था में भागीदारी के विषय में दलितों, आदिवासियों तथा महिलाओं का हल निकालने के संबंध में चर्चा की गई थी। सामाजिक न्याय समितियों के सदस्य, अध्यक्ष, पंचायतों के सदस्य, सरपंच, समुदाय-आधारित संगठनों के प्रतिनिधि और स्थानीय नेता मिल कर कुल ७०० से अधिक लोग उपस्थित थे। सम्मेलन में गुजरात पंचायत-कानून में सुधार के लिए एक आवेदन पत्र तैयार किया गया। उसके बारे में बाद में एक कार्यशाला २८-११-२००३ को आयोजित की गई थी। उसमें इस आवेदन पत्र को गैर सरकारी संगठनों के नेताओं, विद्वानों एवं कार्यकर्ताओं ने अंतिम रूप प्रदान किया था। उसमें कुल २७ मांगें की गई है। उनमें से कुछ महत्त्वपूर्ण मांगें निम्नानुसार हैं: (१) सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर ग्राम सभा की अनुमति मिलने की स्थिति में ही क्रियान्वयन किया जाए। (२) चुने हुए सरपंच पर आधे कार्यकाल तक अविश्वास का प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा। (३) कुल जनसंख्या का आधा भाग महिलाओं का होने से ग्राम सभा के लिए जरूरी कोरम में भी ५० प्रतिशत महिलाओं की उपस्थिति अनिवार्य की जाए। (४) प्रत्येक ग्राम पंचायत में सामाजिक न्याय समिति का गठन अनिवार्यतः किया जाना चाहिए। (५) आरक्षित सीटों पर चुने गए सदस्यों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। (६) प्रत्येक पंचायत की न्याय समिति के हस्ते न्यूनतम २००० रु. अथवा उसकी आबादी के अनुसार पर्याप्त राशि वार्षिक स्तर पर रखी जानी चाहिए। (७) सरपंचों की तहसील पंचायात में हर तिमाही एक मीटिंग रखनी ही चाहिए।

नवीनतम विचारों हेतु आह्वान

'ग्रामीण सेवाओं में सुधार : पहुँच एवं गुणवत्ता' विषय के संबंध में डी.एफ.आई.डी. और फिक्की के संग सहयोग में विश्व बैंक समूह ने पहली बार भारत में 'कंट्री लेवल डेवलपमैंट मार्केट प्लेस' की

शेष पृष्ठ 33 पर

संदर्भ सामग्री

वंचित लक्ष्यी जनजागृति श्रेणी की पुस्तिकाएँ

इस श्रेणी में कुल दस पुस्तिकाएँ प्रकाशित हुई हैं:

(१) स्वतंत्र भारत के गरीबों का सवाल: हमारे आंगन स्वराज कब आएगा?

(२) अन्यायी समाज के यौद्धा और इतिहास पुरुष: भारत रत्न डॉ. बी. आर अम्बेडकर

(३) खेत विकास और गाँवों से शहरों की तरफ होने वाले पलायन की समस्याएँ

(४) दलितों, आदिम जातियों की विपदायें और नक्सलवादियों की समस्या के मूल

(५) विकास का यह प्रकार: थोड़ी खुशी, ज्यादा दु:ख

(६) कौन सुनेगा वंचितों की ये वेदनाएँ?

इनके बाद की जो चार पुस्तिकाएँ हैं, वे लघु जीवन चरित्रों से और उनके व उनसे संबंधित लेखक के विचारों से युक्त हैं:

(१) वामपंथी आंदोलन के मशालची। इनमें कैफी आजमी, सरदार जाफरी, मजरूह सुल्तानपुरी, इंद्रजीत गुप्ता, हरकिसन सिंह सुरजीत, चंद्रशेखर राव, बी. टी. रणदिने, नम्बूद्रीपाद, श्रीपाद अमृत डांगे के बारे में लिखा गया है।

(२) शोषण व अन्याय के विरोधी यौद्धा। इस पुस्तिका में साने गुरुजी, श्रीपाद अमृत डांगे, ज्योदि बसु, रेणु चक्रवर्ती, दादाभाई नौरोजी, डॉ. नेल्सन मंडेला, नारायण सुर्वे और मालती चौधरी के बारे में लेख लिखे गये हैं।

(३) गुजरात का गौरव: प्रगतिशील प्रतिभाएँ। इस पुस्तिका में इन्दुलाल याज्ञिक, दिनकर मेहता, चंद्रभाई भट्ट, धनवंत ओझा, जगन्नाथ वोरा और जयंती पारेख के जीवन चरित्र लिखे गये हैं।

(४) जनवादी आंदोलनकारी और शोषितों के पक्षधर: इस पुस्तिका में जशवंत ठाकर, नीरूबहेन पटेल, हिंमत खटसुरिया, विठुभाई पटेल, मधुभाई गांवित, सुबोध मंगलदास, झवेरचंद मेघाणी, यशवंत चौहाण, ठाकोरभाई देसाई तथा मगनलाल चांदलिया के जीवन एवं कार्य के बारे में लेख लिखे गए हैं।

ये पुस्तिका वंचित लक्ष्यी जनजागृति श्रेणी के अन्तर्गत प्रकाशित की गई हैं। लेखक ने भारत की समस्याओं का लेखन अधिकतर वामपंथी अथवा समाजवादी दृष्टिकोण से किया है। इसी तरह जिन व्यक्तियों के बारे में लेख लिखे गए हैं, उनमें से अधिकांश गुजरात के या देश के समाजवादी चिंतक या कर्मशील या राजनेता थे। लेखक: बटुक देसाई, प्राप्ति स्थान: गुजरात खेत विकास परिषद, खेत भवन, गांधी आश्रम के पास, अहमदाबाद-३८००२७ फोन: ७५५७७७२, प्रथम आवृत्ति: मार्च २००३

पंचायतों का सशक्तिकरण: प्रधान प्रशिक्षकों हेतु पुस्तिका

पंचायती राज के क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ताओं की क्षमतावृद्धि की जरूरत का एहसास आज बड़े स्तर पर हो रहा है। यह पुस्तिका ऐसे कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के सभी पक्षों को समेट लेती है। इसमें 'बेस मोड्यूल' के अलावा अन्य १० मोड्यूल हैं। 'बेस मोड्यूल' में पांच भाग हैं। उसमें सामान्य, राजकीय-कानूनी व्यवस्थापन, भूमिका तथा लघु स्तरीय आयोजन की अभिमुखता का समावेश है। ये मोड्यूल प्रशिक्षण संबंधी जरूरतों के गहन अध्ययन तथा पंचायती राज के विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर तैयार किये गए हैं। इनमें प्रशिक्षण की ऐसी पद्धतियां समाविष्ट हैं जो सहभागी अध्ययन व कार्य पर आधारित हैं।

प्रशिक्षण के लिए उपयोगी आलेखों, रेखाचित्रों व खेलों का उपयोग कैसे किया जाए, इसकी ब्यौरेवार समझ दी गई है। इस पुस्तिका में २० रंगीन भित्तिचित्र भी सम्मिलित हैं। वे भारत के संविधान की ११वीं अनुसूची में दिये गए पंचायतों के कार्यों से संबंधित विषयों के बारे में हैं। साथ ही, ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत और जिला पंचायत - यों तीनों स्तर की पंचायतों से संबंधित सभी पहलुओं का इस मोड्यूल में समावेश किया गया है। ग्राम सभा के बारे में भी प्रशिक्षण देने के बारे में इसमें ध्यान दिया गया है। अलग-अलग ३९

विषयों पर कुल ४६ चित्र इसमें दिये गये हैं। अंत में तीन परिशिष्टों में ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत व जिला पंचायत के कार्यों की सूचियां दी गई हैं और कई अंग्रेजी पुस्तकों की सूची दी गई है। चार पन्नों में विषयवार संदर्भ सूची भी दी गई है। यह पुस्तक क्रियान्वयन करने वालों, प्रशिक्षकों, पंचायती राज के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों और विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। लेखकः डी. बंदोपाध्याय, अमिताभ मुखर्जी, चिताली सेन, गवई, प्रकाशकः राजीव गांधी फाउन्डेशन, नयी दिल्ली।

प्राप्ति सथानः कंसेप्ट पब्लिकेशन कंपनी, १५-१६, कमर्शियल ब्लॉक, मोहन गार्डन, नयी दिल्ली - ११०५९. फोनः २५३५१४६०, २५३५१७९७, फैक्सः २५३५७१०३. मूल्यः ७५० रु. पृष्ठ ३७०.

जन वकालत

यह पुस्तिक स्थानीय स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं के लिये है, जो लोगों के लिए समाज व सरकार के समक्ष हिमायत का काम करते हैं। लोक हिमायत की प्रक्रिया की शुरूआत और अंत दोनों जनता से होता है, विशेष रूप से ऐसे लोगों से होता है कि जो अधिकारों से वंचित है तथा अन्याय के शिकार बने हुए हैं। लोग अपने कार्यों के कर्ता हैं और अपने भाग्य के मालिक हैं। लोग किसी की कठपुतली नहीं हैं। सार्वजनिक नीतियां लोगों के लिये बनाई जाती हैं। याने इन नीतियों की शुरूआत भी लोगों से होनी चाहिए। लोकतंत्र का अर्थ भी यही है। सामाजिक परिवर्तन मात्र नीतियों में फेरफार करने से नहीं आता। हालांकि वह एक महत्त्वपूर्ण साधन तो है ही। समाज में परिवर्तन तभी आता है कि जब लोग स्वयं परिवर्तन की प्रक्रिया को हाथ में लेते हैं। साथ ही, इसके लिए नीतियां बनाने वालों में परिवर्तन लाने की इच्छा-शक्ति होनी चाहिए। इसके लिए नीति-निर्धारकों के दृष्टिकोण में बदलाव होना चाहिए। यह पुस्तक इस सपने को साकार करने की दिशा में एक कदम है। हिमायत से अभियान को अधिक बलवान बनाना इस पुस्तक का उद्देश्य है। परंतु साथ ही साथ हिमायत करने वाले कार्यकर्ताओं की क्षमता वृद्धि का भी उसका उद्देश्य है।

सार्वजनिक हिमायत क्या है, सार्वजनिक नीति क्या है, मूल्य आधारित राजनीतिक प्रक्रिया, अभियान करने वाले संगठन की आचार संहिता, सार्वजनिक हिमायत में किन-किन बातों का समावेश होता है, सार्वजनिक हिमायत की प्रक्रिया क्या है, सार्वजनिक हिमायत अभियान की योजना कैसी होती है, इत्यादि मुद्दों के विषय में इस पुस्तक में विस्तृत चर्चा की गई है। इसके अलावा, बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने की तथा केरल के शांत घाट (साइलेंट वैली) के पर्यावरण की रक्षा हेतु सार्वजनिक हिमायत के सफल उदाहरण भी इसमें दिये गए है। सार्वजनिक हिमायत का उद्देश्य शासन व्यवस्था के असमान सत्ता-संबंधों का विरोध करना और उसे निर्मित करना है। यह उद्देश्य प्राप्त करने हेतु काम करने वाले सभी कार्मिकों के लिए यह हिन्दी पुस्तक अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। चित्रों के द्वारा इस पुस्तक को आकर्षक बनाने का प्रयास भी किया गया है।

प्राप्ति स्थानः राष्ट्रीय जन वकालत अध्ययन केंद्र, सेरिनिटी कोम्पलेक्स, रामनगर कालोनी, पाषाण, पुणे-४११०२१ (महाराष्ट्र) फोनः ०२०-२८५२००३-४, ईमेलः neas@vsnl.com पृष्ठः २८.

रिक्शाः जिंदगी है यारो

इस हिन्दी पुस्तक में पैडल रिक्शाचालकों की आपबीती व उनके परिवारों के हनन के बारे में लिखा गया है। इस पुस्तक में यह समझाने की कोशिश की गई है कि साइकिल रिक्शाचालकों की मुसीबतों और सरकार की परिवहन नीति के बीच कितना अंतर है। असंख्य रिक्शा चालकों के साक्षात्कार इस पुस्तक में प्रकाशित किये गए हैं तथा सड़कों पर उन्हें पेश आने वाली मुसीबतों का इसमें बयान है। यह प्रकरण-१ में है, जिसका शीर्षक है 'रिक्शा जिंदगी'। द्वितीय प्रकरण का शीर्षक है 'मंथन'। इसमें दिल्ली, कलकत्ता, कानपुर, पटना आदि बड़े नगरों में रिक्शा चालकों पर पड़ने वाली मुसीबतों और विशेष रूप से ट्राफिक पुलिस द्वारा पेश मुसीबतों के उदाहरण प्रस्तुत किये गए हैं। इस प्रकरण में कई लेख भी दिये गए हैं, जिनमें साइकिल रिक्शे का परिवहन क्षेत्र में क्या महत्त्व है, यह व्यक्त किया गया है और इसमें उन शोधों का उल्लेख किया गया है जिनसे रिक्शाचालकों को रिक्शे चलाने में कम मेहनत पड़े।

तीसरा प्रकरण है 'चर्चा'। इसमें दो रिक्शा-मालिकों के साथ प्रश्नोत्तर है। दिल्ली नगर निगम के उपायुक्त से साक्षात्कार के अंश भी इसमें

दिये गए हैं। दिल्ली के उप ट्राफिक पुलिस आयुक्त का भी साक्षात्कार इसमें दिया गया है। इस प्रकरण से साफ दिखाई देता है कि इन सबकी सोचने की दिशा कितनी अलग-अलग है। चौथे प्रकरण का नाम है 'दिशा'। इसमें आरंभ में प्रधानमंत्री ने रिक्शा चालकों की समस्याओं के बारे में दिल्ली के उप राज्यपाल को २३-८-२००१ को जो पत्र लिखा था, वह दिया गया है। इस पत्र के ब्यौरे के विषय में भी समीक्षा की गई है। रिक्शा चालकों की परमिट प्रथा और किस तरह की व्यवस्था है, इसका विवरण भी यहां दिया गया है। वैकल्पिक नीति कैसी होनी चाहिए, इस पर भी इस प्रकरण में विचार किया गया है।

पांचवें प्रकरण का शीर्षक है 'आंकड़े बोलते हैं'। इस प्रकरण में जन-परिवहन पंचायत द्वारा दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व राजस्थान में किये गए सर्वेक्षण का विवरण दिया गया है। इस विस्तृत अध्ययन में २२७८ रिक्शा चालकों से साक्षात्कार लिया गया था। अंतिम प्रकरण 'समान सड़क का अधिकार' में विकास की गलत दिशा कैसी परिवहन नीतियां बनाती है और उन से गरीब रिक्शा चालकों के अधिकारों का कैसे हनन होता है, इस बारे में एक मननीय लेख दिया गया है।

सम्पूर्ण पुस्तक परिवहन की नीति व दिशा के बारे में चिंतन के लिए प्रेरित करती है। लेखकः राजेंद्र रवि और स्मिता स्नेही, प्रथम आवृत्ति-२००२, प्रकाशकः बुक्स फोर चेंज, आर-३९, साउथ एक्सटेंशन-२, नई दिल्ली-११००४९, फोनः ०११-६२४१५०२, ६२६१५०३, पृष्ठ १२७, मूल्यः १२५ रु. ईमेलः mani@actionaidindia.org

कैसा विकास, किसका विकास

इस पुस्तक में विकास किस तरह हो रहा है और किसके लिये हो रहा है, इसकी प्रक्रिया समझाई गई है, और साथ ही साथ सार्थक विकास की परिभाषा की खोज की गई है। आर्थिक वृद्धि की दर ऊँची होनी चाहिए और विकास के आंकड़े प्रभावी होने चाहिए, इस तरह सभी गला फाड़ कर कह रहे हैं, पर विकास की परिभाषा क्या होनी चाहिए और किस विकास को हम सार्थक विकास कह सकेंगे, ऐसी पूछताछ शायद ही की जाती है। इस संदर्भ में यह हिन्दी पुस्तक महत्त्वपूर्ण सिद्ध होगी।

इस पुस्तक के प्रकरण इस प्रकार हैः

(१) विकास की चर्चा
(२) सार्थक विकास का रास्ता
(३) वर्तमान विकास की असंगतियां
(४) विकल्प की खोज के साथ अपने जीवन को जोड़ें
(५) सार्थक सामाजिक परिवर्तन
(६) नये जीवन मूल्य को खोजती नयी शताब्दी
(७) एक सार्थक राष्ट्रीय कार्यक्रम की ओर
(८) भारतीय गांवों का विकासः क्या छोड़ें, क्या अपनायें
(९) भारत व चीन का विकासः दो रास्तों का बीच का अंतर
(१०) आधिपत्य के संबंध के बजाय सहयोग का संबंध। अंत के ग्यारहवें प्रकरण में कुछेक आंकड़ात्मक विवरण दिया गया है।

सार्थक विकास को समझाने के लिए इस पुस्तक में सात मुद्दे इस प्रकार दिये गए हैंः

(१) सभी मनुष्यों की प्राथमिक जरूरतें पूरी होनी चाहिए
(२) मनुष्य के अलावा पृथ्वी पर जो अनेक प्रकार के जीव-जंतु हैं उन सभी के दुःख दर्द का ध्यान रखा जाना चाहिए।
(३) धरती की धरोहर को, प्राकृतिक संसाधनों को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए।
(४) समता व सादगी के मूल्यों पर आधारित समाज होना चाहिए।
(५) समाज में भ्रातृत्व, सद्भावना और एकता स्थायी होने चाहिए।
(६) समाज के निर्माण में सभी लोगों की क्षमताओं का योगदान होना चाहिए।
(७) समाज में सभी स्तरों पर लोकतांत्रिक विचार एवं कार्य-पद्धति का विकास होना चाहिए।

लेखकः श्री भरत डोगराः पृष्ठ १२०, प्रकाशकः बुक्स फॉर चेंज, आर-३९, साउथ एक्सटेन्शन-२, नई दिल्ली-११००४९, फोनः ६२६१५०२, ६२६१५०३, मूल्यः ७० रु.

धर्मान्तरणः थोड़ी सी जिंदगी के लिए

इस पुस्तक की संपादिका सुश्री मणिमाला ने जो प्रस्तावना लिखी है

उसका शीर्षक दिया है- 'जिनका कुछ नहीं बदलता, उनका धर्म बदलता है' । उनका कहने का मतलब यह है कि विकास के नाम पर होने वाले अत्याचार के समक्ष धर्म या संस्कृति जब लड़ने की इजाजत नहीं देती, तो लोग कोई रास्ता तलाशने का प्रयास करते हैं और उनमें से एक रास्ता धर्म परिवर्तन है। इसीलिए धर्म बदलने से शायद कुछ भी सिद्ध नहीं होता। इस संदर्भ में धर्मांतरण के विषय पर पुस्तक में चर्चा की गई है। पुस्तक में पाँच लेख हैं:

(१) डॉ. प्रकाश लुईस का 'दलित, आदिवासी और धर्मान्तरण'
(२) डॉ. गोपा जोशी का 'बंच ऑफ थोट्स नहीं पढ़ी'?,
(३) कंवल भारती का 'धर्मान्तरण आज के संदर्भ में',
(४) अली अनवर का 'धर्म बदलने से कुछ नहीं होता'
(५) मोहनदास नैमिशराय का 'वेदना और धर्म परिवर्तन'।

प्रथम लेख में दलित और आदिवासी: दशा और दिशा, धर्म और धर्मान्तरण, दलित और धर्मान्तरण, आदिवासी और धर्मान्तरण आदि विषयों की चर्चा की गई है। दूसरे लेख में संघ परिवार की विचार धारा क्या है, यह समझने की कोशिश की है। तीसरे लेख में दलितों के धर्मान्तरण के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। चौथे लेख में मुस्लिम समाज और धर्मान्तरण के बारे में विचार व्यक्त किये गये हैं। इस लेख में मुस्लिम समाज और एकीकृत समाज है, ऐसी जो सर्वमान्य मान्यता प्रचलित है, वह हकीकत नहीं, ऐसा समझाने की कोशिश की गई है। मुस्लिमों में भी ऊँच-नीच का भेद विद्यमान है और यह भेदभाव जातिगत है, यह दर्शाने का प्रयास इस लेख में किया गया है। अंतिम पांचवें लेख में यह समझाने की कोशिश रही है कि हिन्दू समाज की संरचना में मूलभूत रूप से त्रास रहा है और वही धर्मपरिवर्तन का कारण बना है। ज्यादातर तो यहां धर्म-परिवर्तन का कारण हिंदुओं की जाति व्यवस्था है और धर्मान्तरण में कुछ भी गलत नहीं है, ऐसा बताने की कोशिश हुई है।

संकलन और सम्पादन: मणिमाला, पृष्ठ-९०, प्रकाशक: बुक्स फॉर चेंज, आर-३९, साउथ एक्स्टेंशन-२, नई दिल्ली ११००४९, फोन: ६२६१५०२, ६२६१५०३, मूल्य: ६० रु.

मुसलमान, धर्मनिरपेक्षता, गुजरात ट्रेजेडी और हिंदू राष्ट्र

'राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय एकता और धर्मनिरपेक्षता के लिए ऐसी मनोवृत्ति की जरूरत है, जिसमें व्यक्तियों, समूहों एवं सांस्कृतिक वैविध्य के प्रति उचित सम्मान व सद्भाव हो।' इस हिन्दी पुस्तक की शुरूआत ही जयप्रकाश नारायण के इस वाक्य से होती है। उनकी जन्म शताब्दी के निमित्त इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया है। इसमें चार लेख हैं:

१. प्रथम लेख 'राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय एकता और धर्मनिरपेता' जयप्रकाश नारायण का ही है। सन् १९६९ में उन्होंने दिल्ली में 'एकता और लोकतंत्र' के विषय में एक सम्मेलन आयोजित किया था। उसमें उन्होंने स्वयं जो अध्ययन-लेख प्रस्तुत किया था उसका सारांश यहां दिया गया है। उसमें हिन्दू राष्ट्र के विचार, राष्ट्रीय विरासत के अर्थ, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्र और धर्म, वैज्ञानिक व तकनीकी युग, राष्ट्रीय एकता की जरूरत एकता की जरूरत आदि मुद्दों की चर्चा की गई है।

२. दूसरा लेख 'गुजरात की नीच ट्रेजेडी' के विषय में है। इसके लेखक हैं प्रेम सिंह। इस लेख में गोधरा की घटना के बाद की गुजरात की हिंसक घटनाओं का अंशत: वर्णन किया गया है तथा उसमें मीडिया की भूमिका, मुसलमानों के मत, प्रतिक्रिया, साम्प्रदायिक बर्ताव व तिरस्कार, फौजें साम्प्रदायिक हो जाएं तो क्या, भारत पाकिस्तान नहीं, तटस्थता इत्यादि मुद्दों की चर्चा की गई है। 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ' की संस्थाओं और गुजरात सरकार की भूमिका तथा उनकी मानसिकता के बारे में भी चर्चा की गई है और कहा गया है कि वे देश को तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं।

३. तीसरा 'राष्ट्र को खोखला करता एक धर्म' शीर्षक लेख अनिल जैन का लिखा हुआ है। इसमें हिन्दू धर्म की, हिन्दू राष्ट्र के विचार की तथा 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ' की विचारधारा की चर्चा की गई है। विशेष रूप से हिन्दू कट्टरतावाद के कई तत्वों और व्यवहारों पर इसमें ध्यान केंद्रित किया गया है।

४. चौथा लेख 'साधारण सवाल: असाधारण जवाब' है। इसमें पीपल्स यूनियन फोर सिविल लिबर्टीज' के सदस्य शंकर गोपालकृष्णन ने सामान्यतया जो सवाल उठाये जाते हैं उनके जवाब देने की कोशिश की है। इसमें १७ सवालों के उत्तर दिये गए हैं। इसमें मुसलमानों की आबादी, हिंदुओं की आबादी की तुलना में बहुत तेज बढ़ती है, इस्लाम में अन्य

धर्मों के प्रति सहिष्णुता नहीं, सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं से मुस्लिम समृद्ध हो रहे हैं, इस्लाम पूर्णतया हिंसा आधारित व जेहाद आधारित है, इस्लामी व ईसाई संस्कृतियां भारत के लिए विदेशी हैं, हिंदू धर्म का नाश करने के लिए मुस्लिम शासकों ने समग्र भारत में मंदिरों का नाश किया, पाकिस्तान बनने से मुसलमानों को अपना देश मिल गया, अतः अब उन्हें हमारा देश छोड़ देना चाहिए- इत्यादि सवाल सम्मिलित किये गये हैं।

संपादनः आर. बी. सिंहः मणिमाला, प्रशासकः जे.पी. जन्मशती समिति, गांधी शांति प्रतिष्ठान, २२२-२२३, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नयी दिल्ली-११० ००२, फोनः ०११-३२३७४९१, ३२३७४९३, पृष्ठः ६०, मूल्यः २५ रु.

नया क्षितिज

यह पुस्तक जलस्राव कार्यक्रम में महिलाओं को प्रभावी रूप से सहभागी बनाने की मार्गदर्शिका है। इसमें जलस्राव में जन-भागीदारी हेतु परियोजनाओं का अमल करने वाली संस्था की भूमिका, संस्था और जलस्राव विकास दल में महिलाओं का प्रभावी रूप से सहभागी बनाने की रणनीति जलस्राव कार्यक्रम में सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन के दौरान महिलाएं प्रभावी रूप से सहभागी बन सकें, इससे संबंधित उपाय, जलस्राव मंडल की रणनीति, जलस्राव समितियों द्वारा महिलाओं की भागीदार बनाने के उपाय, जलस्राव कार्यक्रम में उपभोक्ता समूह की रणनीति, जलस्राव योजना के अंतर्गत स्वय-सहायता समूह को सक्रिय व भागीदार बनाने की रणनीति, महिलाएँ प्रभावी रीति से जलस्राव कार्यक्रम में भागीदार बनें, इसके लिए क्षमता वृद्धि के कौनसे उपाय और कार्यक्रम किस स्तर पर आदि बातों की चर्चा की गई है। पुस्तक के प्रथम भाग में उपर्युक्त मुद्दों की चर्चा की गई है।

पुस्तक के दूसरे भाग में जलस्राव विकास द्वारा महिलाओं ने अलग-अलग गांवों में जो सफलता प्राप्त की है, उनका विवरण है। इसमें सुरेंद्रनगर की चोटीला तहसील के नारियेळी गांव के महिला मंडल, बारा गांव की महिला समिति, राजकोट की मालिया तहसील के वेणासर गांव, सागबरा तहसील के ऊभारिया गांव, दाहोद जिले की फतेपुरा तहसील के घुघण गांव, कच्छ में गोरा डूंगर की दक्षिणी ढलान के खारी गांव, भावनगर जिले की घोघा तहसील के नथुगढ़ गांव, भीमखेड़ा तहसील के अगाशवाणी गांव, जामनगर जिले की भाणावड़ तहसील के ढेबर गांव की कुल नौ सफल घटनाओं की कहानियां दी गई हैं। इन सभी स्थानों पर महिलाओं ने जलस्राव विकास कार्यक्रम कैसे सफल बनाया है तथा उन्होंने अपने व समग्र ग्राम विकास में कैसा योगदान दिया है, इसका वर्णन है।

यह आंदोलन आगाखान ग्राम सहायता कार्यक्रम, आनंदी, पर्यावरणीय विकास केंद्र, प्रकृति फाउंडेशन, सहजीवन, उत्थान, सावाजाम आदि संस्थाओं ने किया है। इसकी प्रस्तावना गुजरात राज्य ग्राम विकास कमिश्नर श्री ए. ए. तिवारी ने लिखी है। आर्थिक सहयोग दिया है आगा खान ग्राम सहायता कार्यक्रम ने। प्रकाशकः 'आनंदी', अर्चना पार्क, गली नं. २, पंचायतनगर बस स्टोप के सामने, युनिवर्सिटी रोड, राजकोट-३६०००५. फोनः (०२८१) २५८६०८। सहयोग राशिः ५० रु. पृष्ठ ६३.

पृष्ठ 28 का शेष भाग

घोषणा की है। यह १५ अप्रैल को दिल्ली में आयोजित होगा। इसका इरादा नवीनतम प्रयोग करने वाले गैर-सरकारी संगठनों, समुदाय-आधारित संगठनों, प्रतिष्ठानों, अकादमिक संस्थाओं, नागरिक संगठनों एवं निजी क्षेत्र को सहयोग देना है। गरीबी निवारण के लिए किए गए नवीनतम प्रयोगों को ध्यान में लिया जाएगा, विशेष रूप से ग्रामीण सेवाओं की गुणवत्ता एवं पहुँच सुधारने से संबंधित अभिगमों एवं अनुभवों का आदान-प्रदान किया जायेगा। इसके लिए जल आपूर्ति और सफाई, सड़कों, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत एवं ऋण आदि क्षेत्रों के लिए परियोजनाएं आमंत्रित की गई हैं। इसके लिए १० से १५ हजार डॉलर क्रियान्वयन हेतु प्रदान किये जाएंगे। विवरण हेतु सम्पर्क करें: विश्व बैंक, ७० लोधी एस्टेट, नयी दिल्ली-११०००३. फोनः ०११-२४६१९४९१, ईमेलः mregol@worldbank.com

इन तीन महीनों के दौरान हमने निम्नांकित गतिविधियाँ हाथ में ली थीः

सामाजिक समावेश और सक्षमता

दलित

- राजस्थान में इस वर्ष अच्छी वर्षा होने से अकाल की लंबी अवधि समाप्त हुई। ऐसे में जमीन के अधिकारों संबंधी प्रश्न और आगे आए क्योंकि दलितों की खेती की बहुत सारी जमीन पर कब्जे हो गये हैं। अभी अत्याचार संबंधी तथा लगभग ३००० बीघे जमीन के बारे में ४० मामले दर्ज़ हुए हैं और उन पर कार्यवाही चल रही है।
- जोधपुर जिले की शेरगढ़ तहसील में सिहांदा गाँव में एक दलित महिला पर बलात्कार करने के संदर्भ में एक सार्वजनिक अधिकार रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली में बाड़मेर और जोधपुर से ३०० लोगों ने भाग लिया था। और न्याय प्राप्त करने के लिए जिले स्तर पर हिमायत चल रही है।
- 'दलित अधिकार अभियान' की सामूहिक कार्यकारी योजना बनाने के लिए प्रादेशिक समिति के सदस्यों की दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें इस बारे में स्पष्ट चर्चा हुई कि आंदोलन के एक निश्चित पहचान देने की जरूरत है ताकि यह अभियान स्वतंत्र रूप से जारी रहे।
- बाडमेर जिले के नौ गाँव में वर्षा के पानी को संग्रहित करने हेतु टांका, डिग्गी और नाडी बनाने के लिए सहभागी संगठनों को पूरा सहयोग दिया गया। उसके अनुवर्ती कार्य के रूप में कार्य के अधिक पारदर्शी, सहभागी व पद्धतिसर क्रियान्वयन हेतु दो दिनों की छह कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था। लाभार्थियों की पहचान, व्यवस्था के संचालन, स्त्रियों की सहभागिता ओर समझ हेतु कार्यकारी योजना के बारे में इन कार्यशालाओं में चर्चा हुई।

विकलांगता

- साबरकांठा सहयोगी संगठनों के सहयोग से एक सार्वजनिक बगीचे में विकलांगों संबंधी सुविधाओं के बारे में लोक-जागृति कार्यक्रम आयोजित किया गया। गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों, मीडिया, विशेष संस्थाओं और बगीचे में आने वालों ने उसमें अपनी उपस्थिति दी थी। अवरोध-मुक्त पर्यावरण उत्पन्न करने के बारे में विविध हितैषियों की जरूरतों, महत्व एवं भूमिका के विषय में चर्चा हुई। विकलांगों और वृद्धों ने अपने चलने, चढ़ने-उतरने में आने वाली तकलीफ के बारे में अपना मंतव्य प्रकट किया। जागरूकता लाने हेतु साहित्य वितरित किया गया। इलेक्ट्रानिक व मुद्रित माध्यमों ने इस प्रसंग को प्रकाशित-प्रसारित किया था।
- विशेष रूप से सार्वजनिक स्थानों में विकलांगों को तकलीफ होती है, ऐसा वातावरण उत्पन्न करने के लिए 'एक्सेस रिसोर्स ग्रुप' का गठन किया गया हैं। उसमें स्थपित, डिजाइनर व गैर-सरकारी संगठन शामिल हैं। अवरोध- मुक्त स्थान बनाने हेतु मार्गदर्शिकाओं के बारे में एक विस्तृत मैनुअल तैयार हो रहा है और वह आगामी कुछ समय में प्रकाशित होगा।
- हर सप्ताह प्रसारित होने वाले रेडियो-कार्यक्रम 'गाँवों की धड़कन' में विकलांगता दिवस के अवसर पर दो विशेष कार्यक्रम तैयार किये गए। 'अंधजन मंडल' के सहयोग से वे कार्यक्रम तैयार किए गये। ये कार्यक्रम ६ और १३ दिसंबर २००३ को प्रसारित हुए। इनमें विकलांग व्यक्ति अधिनियम - १९९५ की व्यवस्थाओं तथा स्थानीय शासन में विकलांग व्यक्तियों के योगदान पर ध्यान केंद्रित किया गया था।
- विगत तीन महिनों के दौरान मीडिया में विकलांगता के प्रश्न पर ध्यान आकृष्ट करने हेतु अहमदाबाद और कच्छ जिलों के लिए पत्रकारों के साथ दो कार्यशालाओं के आयोजन किये गए। साबरकांठा में भी ऐसी ही एक कार्यशाला आयोजित की गई। उसमें विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किये गए प्रयास प्रस्तृत किये गए। मुख्य धारा के अखबारों में एक सकारात्मक छाप अंकित करने हेतु लेख प्रकाशित हुए हैं और विकास की मुख्य धारा की प्रक्रिया में विकलांगों के समावेश हेतु प्रयास भी उसमें व्यक्त हुए हैं।
- 'उन्नति' तथा 'हैन्डिकेप इंटरनेशनल' के प्रतिनिधियों ने बांगलादेश में ढाका में विकलांगता के बारे में आयोजित एक प्रादेशिक परिसंवाद

में भाग लिया। उन्होनें अध्ययन- लेख प्रस्तुत किये और 'समावेश' तथा 'पहुँच' उत्पन्न करने संबंधी अपने अनुमानों का विनिमय किया। उन्होंने स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों से भी सम्पर्क किया ताकि 'समावेश' के प्रश्न पर उनके अनुभव भी जाने जा सकें।

पुनर्वास

- गृह निर्माण हेतु सहयोग के लिए समुदाय के साथ चर्चा करके ७५ कमजोर परिवार खोजे गए। उनमें से ५९ घरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका हैं, शेष घरों का निर्माण कार्य चालू है। ७४ परिवारों को घर की मरम्मत के लिए सामग्री प्रदान की गई और ६३ घरों में वर्षा के जल के संग्रह की व्यवस्था बनाने हेतु सहयोग दिया गया। ५७ घरों में यह काम पूरा हो चुका है।
- कसीदाकारी करने वाली महिलाओं के छोटे- छोटे- समूह बनाये गए। प्रत्येक समूह में १५-२० सदस्य हैं। प्रत्येक समूह में तीन नेता होते हैं और उनका चुनाव होता है। अभी छह गाँवों में ऐसे १७ महिला मंडल हैं और समूह के नेता कच्चा माल एकत्र करने तथा काम पूरा करने की जिम्मेदारी निभाते हैं। 'दिल्ली हाट' के 'नेचर बाजार' समेत कई प्रदर्शन व बिक्री में कारीगरों ने भाग लिया था।
- गुजरात व राजस्थान में कार्यकर्ताओं की क्षमता बढ़ाने हेतु दिनांक ८-११ अक्टूबर २००३ के दौरान अहमदाबाद में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। उसमें १७ संगठनों के ३७ व्यक्तियों ने भाग लिया।
- अहमदाबाद में ८ से १० दिसंबर २००३ के दौरान स्थानीय स्तर के कार्यकर्ताओं के लिए सामाजिक विकास के बारे में एक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में कमजोर लोगों की समस्याओं और उनकी असहायता कम करने संबंधी कार्यनीतियों के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। इसमें १४ संगठनों के ३४ सहभागियों ने भाग लिया था।
- २०-२२ नवंबर और १८-२० दिसंबर २००३ के बीच स्त्री- पुरुष समानता के व्यवहार को मुख्य धारा में लाने के अंतर्गत 'उन्नति' के कार्यकर्ताओं हेतु दो स्तरों में अभिमुखता कार्यक्रम आयोजित किये गए थे। इस प्रशिक्षण में पदानुसार कार्यकर्ताओं का इस तरह विभाजन किया गया, ताकि दोनों समूहों के प्रत्येक स्तर के कार्यकर्ता समान संख्या में भाग लें।
- इस वर्ष के दौरान 'एक्शन एड' की भारत संबंधी व्यूह रचना की समीक्षा की गई और हमने संगठनात्मक संचालन की समीक्षा की। राजस्थान में अकाल के बारे में 'ईको' की प्रतिक्रिया का मूल्यांकन किया गया। 'उन्नति' के निदेशक ने इन दोनों प्रसंगों का संचालन संभाला था।

नागरिक नेतृत्व और शासन

ग्रामीण शासन

- गुजरात में अप्रैल- २००३ से १५ मिनट के साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम ३६ सप्ताहों तक प्रसारित हुए है। इस संदर्भ में सौराष्ट्र क्षेत्र के सात जिलों का एक श्रोता सम्मेलन किया गया था। सम्मेलन में श्रोताओं ने कार्यक्रम के प्रभाव के बारे में बातें बताई और उनमें किस तरह सुधार किये जा सकते हैं, इस बारे में सुझाव दिये थे।
- गुजरात के ४ जिलों के लगभग ७०० चयनित प्रतिनिधियों तथा स्थानीय नेताओं का एक सम्मेलन 'बिहेवियेरल साइंस सेंटर', 'बनासकांठा दलित संगठन' और 'सामाजिक न्याय मंच' के सक्रिय सहयोग से शासन की प्रक्रिया में किनारे कर दिये गए लोगों की सहभागिता के सवाल पर आयोजित किया गया था। पंचायती राज अधिनियम में संशोधन सुझाने वाला एक आवेदन पत्र तैयार किया गया था तथा सरकार के साथ इन सुझावों के बारे में हिमायत की कार्यनीति गढ़ने हेतु एक कार्यशाला भी आयोजित की गई थी।
- गुजरात में साबरकांठा के 'पंचायत संदर्भ केन्द्र' द्वारा 'सामाजिक न्याय मंच' के द्वारा 'सामाजिक न्याय मंच' के सहयोग में तहसील स्तरीय सामाजिक न्याय मंच समितियों के सदस्यों ने एक अभिमुखता प्रशिक्षण आयोजित किया था। अहमदाबाद के 'पंचायत संदर्भ केन्द्र' द्वारा महिलाओं का जो एक नेटवर्क तैयार किया गया है, उसने किन्हीं पंचायतों के आय-व्यय पत्रक प्राप्त किये हैं तथा गरीबी-रेखा के नीचे जीने वालों की सूची बनाने संबंधी सही अभियान उन्होंने शुरू किया है।

- दिसंबर २००३ में राजस्थान में ग्राम सभा और वार्ड सभा के आयोजन किये गए थे ताकि उनमें लोग उपस्थित रहें, उन पर ध्यान केंद्रित किया गया था। पैम्फलेट, भित्तिचित्र, वार्ड सभा और ग्राम सभा की कार्य सूची के प्रयास और योजनाओं के अमल की देखरेख आदि के बारे में अभियान चलाया गया था। इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वार्डवार बैठकों के आयोजन किये गए थे।
- जोधपुर में जहां महिलाएं व दलित सरपंच हों उन पंचायतों के सदस्यों को स्वयं-सहायता समूहों के बारे में जानकारी दी गई।
- जोधपुर में मंडोर के पंचायत संदर्भ केन्द्र द्वारा पंचायतों के सदस्यों का एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। उसमें ९० प्रतिभागी उपस्थित थे। उसमें तहसील विकास अधिकारी के साथ वार्ड सभा और ग्राम सभा संबंधी प्रश्नों की भी चर्चा की गई थी।
- गुजरात के कच्छ के भचाऊ में नानी चिराई और भीलवास के लिए सामुदायिक आकस्मिकता योजनाएं समुदाय के साथ विचार-विमर्श करके तैयार की गई थीं। सूचनाओं के विश्लेषण के साथ का विवरण तैयार हो रहा है।

शहरी शासन

- गुजरात में अहमदाबाद फायर ब्रिगेड के सक्रिय सहयोग से अग्नि-सुरक्षा संबंधी पांच प्रदर्शन आयोजित किये गए थे, उनमें १६०० बालकों को अग्नि-सुरक्षा के बारे में जानकारी दी गई थी। अंग्रेजी व गुजराती में आग से बचाव संबंधी उपाय बताने वाली एक सचित्र पुस्तिका तैयार की गई थी और स्टिकर्स भी बाँटे गए थे।
- दिवाली के त्यौहार के दौरान अक्टूबर में 'रेडियो मिर्ची' से निरंतर नारों का प्रसारण किया गया और सिनेमाघरों में मध्यांतर के दौरान स्लाइड-शो दिखाया गया था। स्थानीय केबल नेटवर्क से संदेश के साथ एनिमेटेड क्लिप फिल्में पहले प्रसारित की गई थीं। विपत्ति के सामने की तैयारी और सुरक्षा के बारे में जन-शिक्षण के अंतर्गत ये कार्यक्रम आयोजित किये गए थे।
- कच्छ के भचाऊ में 'गुजरात राज्य आपदा संचालन प्राधिकरण' (जीएसडीएमए) के सहयोग से एक जानकारी की दुकान शुरू की गई थीं। नगर-आयोजन की योजनाओं, विकासपरक योजनाओं, निर्माण की अनुज्ञा प्राप्त करने की प्रक्रिया, ढांचागत सुविधाओं के आयोजन, भूमि नियमित करने संबंधी मुद्दों आदि के बारे में वहां से नागरिकों को जानकारी मिलती रहेगी।
- भचाऊ में अलग-अलग बस्तियों को ढांचागत सुविधाएँ विकेंद्रित रूप से प्राप्त हों, इसके लिए भचाऊ नगरपालिका के सहयोग से जल के सामूहिक संग्रह एवं अवाप्ति हेतु निर्माण कार्य कराया जा रहा है।
- राजस्थान में जोधपुर जले के बिलाड़ा नगर के नगर-सेवकों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण २६-३० दिसंबर, २००३ के बीच आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य सुशासन के विषय में नगर सेवकों के दृष्टिकोण को विकसित करना था।

उन्नति

उन्नति

विकास शिक्षण संगठन

जी-1, 200, आज़ाद सोसायटी, अहमदाबाद-380015

फोनः 079-6746145, 6733296 फैक्सः 079-6743752 email: unnatiad1@sancharnet.in

राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय

जी-55, शास्त्री नगर, जोधपुर-342 003 राजस्थान

फोनः 0291-2642185, फैक्सः 0291-2643248 email: unnati@datainfosys.net

डिज़ाइनः रमेश पटेल, उन्नति **गुजराती से अनुवादः** रामनरेश सोनी

मुद्रकः कलरमैन प्रिन्टर्स, अहमदाबाद. फोन नं. 079-8012967

आप लोक शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए विचार में प्रकाशित सामग्री का सहर्ष उपयोग कर सकते हैं। कृपया सौजन्य का उल्लेख करना न भूलें और साथ ही अपने उपयोग से हमें अवगत करायें ताकि हम भी उससे कुछ सीख सकें।